State Special

दृष्टि The Vision

मध्य प्रदेश

समग्र अवलोकन

राज्य लोक सेवा आयोग तथा प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोर्ड द्वारा आयोजित
की जाने वाली सभी परीक्षाओं हेतु संपूर्ण पुस्तक

- मध्य प्रदेश के सभी पहलुओं का संकलन
- मानचित्र एवं माइंड मैप का प्रयोग
- राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण अधिनियम
- विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
- अभ्यास प्रश्न

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
(Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक परीक्षा)
(19 बुकलेट्स) ₹10,000/-

सामान्य अध्ययन
(मुख्य परीक्षा)
(26 बुकलेट्स) ₹13,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रारंभिक परीक्षा)
(27 बुकलेट्स) ₹13,000/-

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(31 बुकलेट्स) ₹15,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(39 बुकलेट्स) ₹17,500/-

हिन्दी साहित्य
(वैकल्पिक विषय)
₹7,000/-

इतिहास (वैकल्पिक विषय)
₹7,000/-

दर्शन शास्त्र (वैकल्पिक विषय)
₹5,000/-

For UPSC CSE (in English Medium)

Self Learning Modules

Students may opt for following modules

- **Prelims** (18 GS + 3 CSAT Booklets) ₹10000/-
- **Mains** (18 GS Booklets) ₹11000/-
- **Prelims + Mains** (36 GS + 3 CSAT Booklets) ₹15000/-

Offer

- *Free 6 months subscription of Drishti Current Affairs Today magazine with every module*
- *Free Test Series worth ₹ 6,000 for UPSC CSE Prelims 2019 with Prelims+Mains module*
- *Flat 50% discount on Test Series worth ₹ 6,000 for UPSC CSE Prelims 2019 with Prelims/Mains modules*

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

मध्य प्रदेश

समग्र अवलोकन

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 87501 87501, 011-47532596

Website:
www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail :
booksteam@groupdrishti.com

प्रथम संस्करण : जनवरी 2019

मूल्य : ₹ 280

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
(A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © **कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशंस (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द...

प्रिय पाठको,

मध्य प्रदेश में हमेशा से ही शासकीय नियुक्तियों के लिये बड़ी संख्या में परीक्षाएँ आयोजित की जाती रही हैं जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है- पहला, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएँ तथा दूसरा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएँ। इन सभी परीक्षाओं में एक बात प्रभावी रूप से देखी जाती रही है कि इनमें मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े सवाले प्रमुखता से पूछे जाते हैं तथा प्रश्न पत्रों में इनकी संख्या सामान्य ज्ञान के शेष खंडों की तुलना में उत्तरोत्तर बढ़ भी रही है, उदाहरणार्थ राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 25-30% प्रश्न सीधे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं तथा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के प्रश्न पत्रों में भी कमोबेश यही अनुपात रहता है। इसलिये मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने 'मध्य प्रदेश : समग्र अवलोकन' नामक इस पुस्तक को लिखने की योजना बनाई।

पुस्तक लेखन की पूरी प्रक्रिया के दौरान मध्य प्रदेश की परीक्षाओं से संबद्ध बाज़ारों में उपलब्ध पुस्तकों का अवलोकन कर हमारी टीम ने महसूस किया कि आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो पुस्तकें अब तक पढ़ते आ रहे हैं उनमें गुणवत्ता के नाम पर केवल परीक्षोपयोगी तथ्यों के एक मशीनी संकलन को प्राथमिकता दी जाती रही है। अत: इस पुस्तक के लेखन के दौरान जो चुनौती हमारे समक्ष रही वह यह थी कि प्रदेश की परीक्षाओं के लिये किसी भी प्रकार से उपयोगी लगभग प्रत्येक जानकारी इसमें शामिल हो, साथ ही ऐसा करते समय हमें यह भी ध्यान रखना था कि पुस्तक जटिल तथ्यों का एक संग्रह मात्र बनकर न रह जाए।

इस चुनौती से निपटने के लिये हमने कुछ ऐसे सूत्र अपनाए जिनसे यह पुस्तक पढ़ने में नीरस न रहे तथा राज्य परीक्षाओं में आने वाले मध्य प्रदेश से जुड़े प्राय: सवालों का जवाब इसमें मिल जाए। वस्तुत: शब्द कितनी ही सुगढ़ता के साथ व्यवस्थित क्यों न कर दिये जाएँ वे कभी भी सरल एवं व्यापक अभिव्यक्ति करने में चित्रों या नक्शों का स्थान नहीं ले सकते, अत: पुस्तक के हर उस अध्याय में जहाँ नक्शे या किसी माइंड मैप की उपस्थिति आवश्यक व उपयोगी थी वहाँ इनका प्रयोग कर विषयवस्तु को विशिष्टता प्रदान की गई है। साथ ही भाषा के स्तर पर भी शुद्धता, सहजता और प्रवाह का विशेष ध्यान रखा गया है। इसलिये ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह पुस्तक सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्त्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसके माध्यम से आप मध्य प्रदेश को उसकी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भावात्मक पूर्णता में जान सकेंगे।

कंटेंट की बात की जाए तो हमने 320 पृष्ठों वाली इस पुस्तक के 26 अध्यायों में मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी तथा 27वें अध्याय में राज्य सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अधिनियमों का संकलन किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अध्याय के अंत में उससे जुड़े परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य अलग से सूचीबद्ध किये गए हैं, साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं तथा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में विगत वर्षों के दौरान पूछे गए तथा हमारे द्वारा तैयार किये गए प्रश्न उत्तर सहित दिये गए हैं ताकि आप परीक्षा हेतु यथोचित अभ्यास कर सकें।

इन सब कारकों के साथ इस पुस्तक में सर्वाधिक ध्यान मुद्दों की प्रासंगिकता तथा उन्हें लिखे जाने के क्रम में तारतम्यता की ओर दिया गया है। अंतत: राज्य की विभिन्न परीक्षाओं से जुड़ी तथा राज्य में सरकारी पदों पर पूर्व चयनित हमारी विशेषज्ञ टीम के कुशल मार्गदर्शन तथा अथक श्रम, सहमतियों-असहमतियों तथा विचार-विमर्श के पश्चात् प्रदेश के अत्यंत सटीक आरेख के रूप में यह पुस्तक संपूर्ण हुई।

मुझे भरोसा है कि पुस्तक का यह संस्करण आपके लिये अति उपयोगी सिद्ध होगा। मेरा निवेदन है कि आप इसे सिर्फ पाठक के रूप में ही नहीं, बल्कि आलोचक और संपादक की नज़र से भी पढ़ें। **अगर आपको इसमें कोई भी कमी दिखे तो अपनी बात बेझिझक '8130392355' नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें।** आपकी टिप्पणियों के आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करणों को और बेहतर बना सकेंगे।

शुभकामनाओं सहित

संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1. मध्य प्रदेश : एक नज़र में 1-9
2. मध्य प्रदेश : संभाग व ज़िले 10-25
3. मध्य प्रदेश : ऐतिहासिक परिदृश्य 26-42
4. मध्य प्रदेश : भौगोलिक संरचना 43-48
5. मध्य प्रदेश : जलवायु एवं मृदाएँ 49-54
6. मध्य प्रदेश : नदियाँ एवं नदी घाटी परियोजनाएँ 55-69
7. मध्य प्रदेश : वन तथा वन्यजीव अभयारण्य 70-82
8. मध्य प्रदेश : कृषि एवं पशुपालन 83-90
9. मध्य प्रदेश : खनिज संसाधन 91-96
10. मध्य प्रदेश : ऊर्जा संसाधन 97-102
11. मध्य प्रदेश : औद्योगीकरण एवं नियोजन 103-111
12. मध्य प्रदेश : परिवहन एवं संचार 112-117
13. मध्य प्रदेश : पर्यटन 118-132
14. मध्य प्रदेश : कला एवं संस्कृति 133-153
15. मध्य प्रदेश : साहित्यकार एवं संगीतकार 154-165
16. मध्य प्रदेश : जनजातियाँ एवं जनजातीय संस्कृति 166-177
17. मध्य प्रदेश : शिक्षा एवं स्वास्थ्य 178-187
18. मध्य प्रदेश : खेल परिदृश्य 188-200
19. मध्य प्रदेश : राजव्यवस्था व प्रशासन 201-212
20. मध्य प्रदेश : पंचायती राजव्यवस्था 213-229
21. मध्य प्रदेश : जनगणना–2011 230-235
22. मध्य प्रदेश : पंचवर्षीय योजनाएँ 236-240
23. मध्य प्रदेश : पुरस्कार एवं सम्मान 241-248
24. मध्य प्रदेश : प्रसिद्ध व्यक्तित्व 249-253
25. मध्य प्रदेश : संचालित योजनाएँ 254-263
26. मध्य प्रदेश : विविध 264-268
27. राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण अधिनियम 269-316

1 मध्य प्रदेश : एक नज़र में
(Madhya Pradesh : At a Glance)

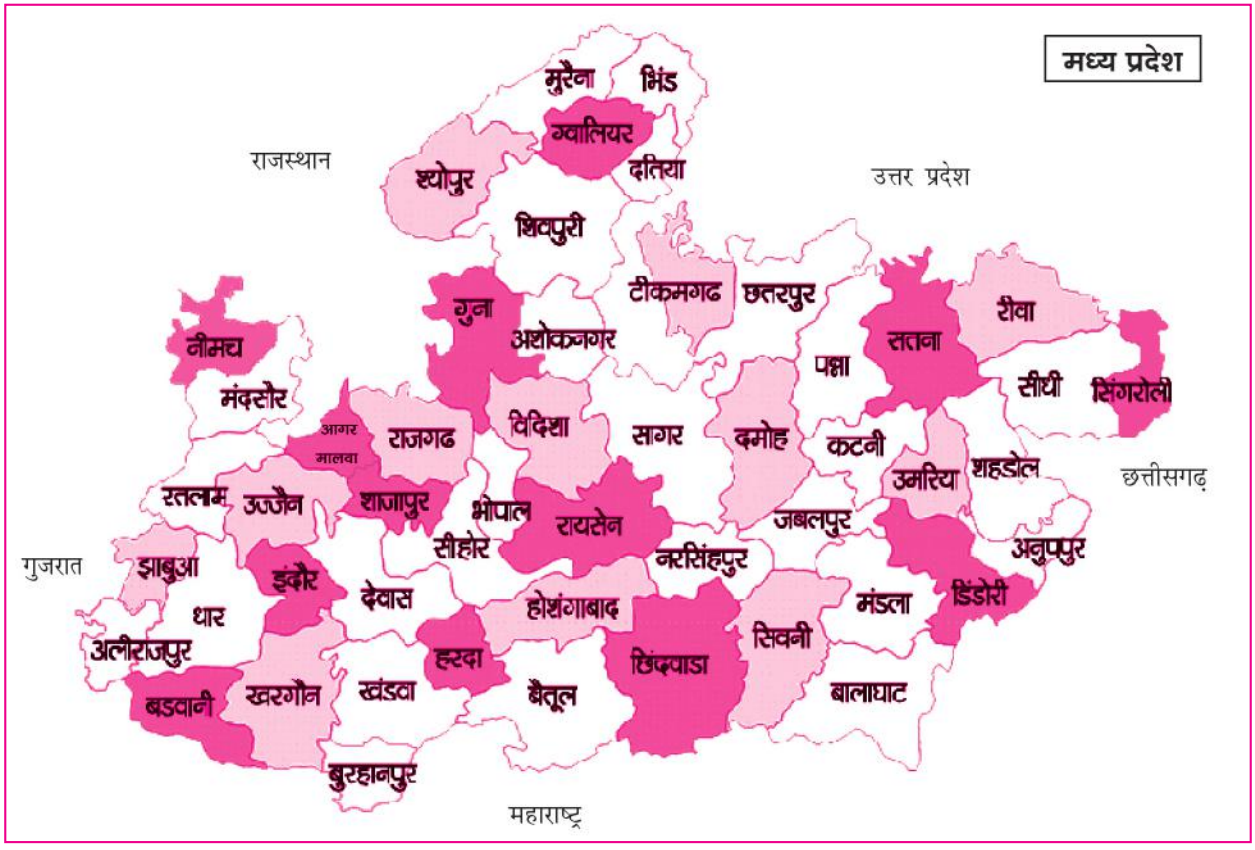

- राज्य का नाम- ***मध्य प्रदेश***
- राज्य का अन्य नाम- ***हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश***
- राज्य का स्थापना वर्ष- ***1 नवंबर, 1956 (वर्तमान स्वरूप-1 नवंबर, 2000)***
- राज्य की भौगोलिक स्थिति- ***21° 04′ से 26° 49′ उत्तरी अक्षांश एवं 74°1′ से 82° 48′ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।***
- राज्य का क्षेत्रफल- ***3,08,252 वर्ग किमी.***
- उत्तर से दक्षिण की लंबाई- ***605 किमी.***
- पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई- ***870 किमी.***
- राज्य की सीमा से लगे राज्य- ***5, [उ.प्र. (उत्तर-पूर्व), महाराष्ट्र (दक्षिण-पश्चिम), छत्तीसगढ़ (दक्षिण-पूर्व), राजस्थान (उत्तर-पश्चिम) एवं गुजरात (पश्चिम)]***
- राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य- ***उत्तर प्रदेश***
- राज्य की न्यूनतम सीमा से मिलने वाला राज्य- ***गुजरात***
- राज्य के मध्य से गुज़रने वाली रेखा- ***कर्क रेखा (14 ज़िलों से गुज़रती है।)***
- भारत के कुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिशत-***9.38%***
- राजकीय चिह्न- ***24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त, जिसमें गेहूँ और धान की बालियाँ हैं।***
- राजकीय पुष्प- ***सफेद लिली***
- राजकीय वृक्ष- ***बरगद (वट वृक्ष)***
- राजकीय पशु- ***बारहसिंगा***
- राजकीय पक्षी- ***दूधराज (एशियन पैराडाइस फ्लाइकैचर), इसे शाही बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है।***
- राजकीय नदी- ***नर्मदा***
- राजकीय नाट्य- ***माच***
- राजकीय नृत्य- ***राई***

21. मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है-
(a) छत्तीसगढ़ (b) उड़ीसा
(c) गुजरात (d) महाराष्ट्र
PEB Exam, 2016, 2014

22. मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क _____ में 12 फरवरी, 2016 को उद्घाटित किया गया।
(a) खरगोर (b) जबलपुर
(c) देवास (d) दतिया
PEB Exam, 2016

23. मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य है?
(a) गुजरात और राजस्थान (b) राजस्थान और उत्तर प्रदेश
(c) उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ (d) छत्तीसगढ़ और राजस्थान
PEB Exam, 2016

24. मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है-
(a) मालवा का पठार (b) रीवा-पन्ना का पठार
(c) बघेलखंड का पठार (d) इनमें से कोई नहीं
PEB Exam, 2015, 2014

25. आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है?
(a) उमरिया (b) मंडला
(c) भोपाल (d) शिवपुरी
PEB Exam, 2015

26. मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन-सी है?
(a) इंदौर (b) अजयगढ़
(c) भोपाल (d) दतिया
PEB Exam, 2015

27. मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है-
(a) जबलपुर (b) इंदौर
(c) दतिया (d) अजयगढ़
PEB Exam, 2015

28. राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है?
(a) उज्जैन (b) भोपाल
(c) ग्वालियर (d) होशंगाबाद
PEB Exam, 2014

29. राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
(a) लुधियाना (b) नई दिल्ली
(c) जबलपुर (d) हैदराबाद
PEB Exam, 2013

30. जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया है?
(a) जबलपुर (b) भोपाल
(c) छिंदवाड़ा (d) मंडला
PEB Exam, 2010

31. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंब को राजकीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया?
(a) 2010 (b) 2011
(c) 2012 (d) 2013

32. मध्य प्रदेश में कुल कितने आदिवासी विकास खंड हैं?
(a) 70 (b) 80
(c) 89 (d) 95

33. मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कहाँ स्थापित किया गया है?
(a) बड़वानी (b) टीकमगढ़
(c) सिवनी (d) छतरपुर

34. मध्य प्रदेश के पहले सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है?
(a) राजगढ़ (b) हरदा
(c) गुना (d) श्योपुर

35. मध्य प्रदेश में निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित है?
(a) सागर (b) देवास
(c) मंडला (d) छिंदवाड़ा

36. मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है?
(a) कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान
(b) पन्ना राष्ट्रीय उद्यान
(c) बाँधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
(d) पेंच राष्ट्रीय उद्यान

37. मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली विपक्ष की महिला नेता कौन थीं?
(a) जमुना देवा (b) बिंदेश्वरी देवी
(c) उमा भारती (d) आशा कुमारी

38. मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
(a) इंदौर (b) भोपाल
(c) उज्जैन (d) रीवा

39. देश का पहला गौ-अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है?
(a) रायसेन (b) मंडला
(c) आगर मालवा (d) मुरैना

40. घातक पशु बीमारियों के लिये वैक्सीन बनाने की बायोलॉजिकल लैब प्रदेश में कहाँ पर है?
(a) अलीराजपुर (b) उमरिया
(c) ग्वालियर (d) महू (इंदौर)

41. मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूँ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है?
(a) बैतूल (b) रायसेन
(c) जबलपुर (d) उज्जैन

उत्तरमाला

1. (c)	2. (c)	3. (d)	4. (c)	5. (a)
6. (a)	7. (c)	8. (d)	9. (d)	10. (b)
11. (b)	12. (b)	13. (d)	14. (d)	15. (a)
16. (b)	17. (c)	18. (a)	19. (a)	20. (b)
21. (b)	22. (a)	23. (b)	24. (a)	25. (c)
26. (a)	27. (a)	28. (b)	29. (c)	30. (b)
31. (d)	32. (c)	33. (d)	34. (c)	35. (b)
36. (a)	37. (a)	38. (b)	39. (c)	40. (d)
41. (c)				

2 मध्य प्रदेश : संभाग व ज़िले
(Madhya Pradesh : Divisions and Districts)

- 1953 में फज़ल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर, 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ।
- नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया जो पूर्व में सीहोर ज़िले की एक तहसील थी। इस तरह उपर्युक्त सीमाओं में परिवर्तन के पश्चात् मध्य प्रदेश का 1 नवंबर, 1956 को गठन हुआ जिसमें 8 संभाग तथा 43 ज़िले शामिल थे।
- 26 नवंबर, 1972 को भोपाल तथा राजनांदगाँव दो नए ज़िले बने और ज़िलों की संख्या 45 हो गई।
- 1998 में 16 और ज़िले बनाए गए। इस प्रकार ज़िलों की संख्या 61 हो गई।
- 31 अक्तूबर, 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से 16 ज़िले नवीन राज्य में चले गए और मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या पुनः 45 हो गई।
- वर्ष 2003 में तीन ज़िले- बुरहानपुर (खंडवा से), अनूपपुर (शहडोल से) तथा अशोकनगर (गुना से) का गठन किया गया, जिनसे प्रदेश में ज़िलों की संख्या 48 हो गई।
- वर्ष 2008 में प्रदेश सरकार द्वारा अलीराजपुर तथा सिंगरौली को ज़िला बनाया गया और प्रदेश में ज़िलों की संख्या 50 हो गई। तथा 2008 में ही होशंगाबाद को प्रदेश का 10वाँ संभाग बनाया गया और 2008 में ही होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम् कर दिया गया।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013 में शाजापुर ज़िले से पृथक् कर आगर मालवा नाम से एक नया ज़िला गठित किया गया, जिससे मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 51 ज़िले हो गए।
- 1 अक्तूबर, 2018 को टीकमगढ़ ज़िले की निवाड़ी तहसील मध्य प्रदेश के 52वें ज़िले के रूप में अस्तित्व में आ गई है।

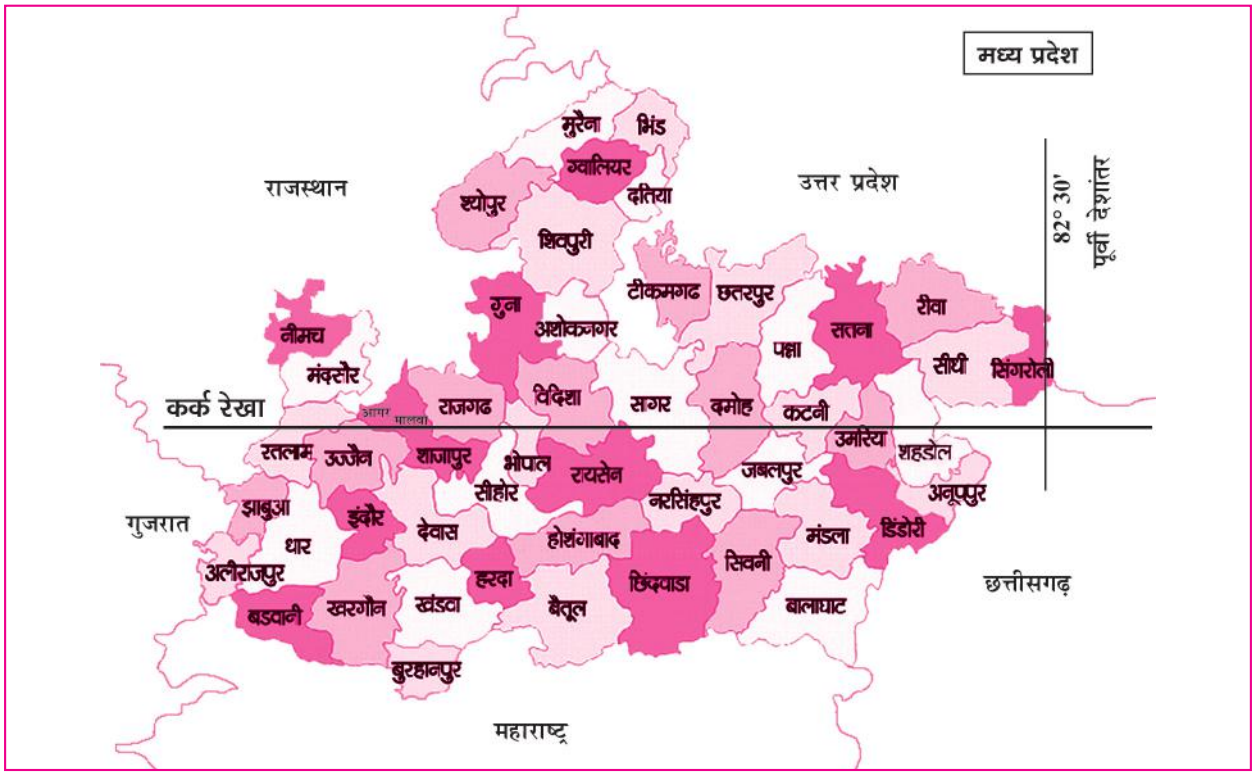

नोट: 1 अक्तूबर, 2018 को मध्य प्रदेश सरकार ने निवाड़ी को राज्य का 52वाँ ज़िला घोषित किया जिसकी जानकारी पुस्तक में शामिल है, परंतु राज्य सरकार द्वारा नए ज़िले के संबंध में अब तक कोई विशेष जानकारी प्रेषित न किये जाने के चलते मानचित्र तथा ज़िलों से संबंधित अधिकतर तथ्य पूर्व रूप में ही दिये जा रहे हैं।

3 मध्य प्रदेश : ऐतिहासिक परिदृश्य
(Madhya Pradesh : Historical Scenario)

मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों पर किये गए उत्खनन व शोधों के उपरांत प्राप्त हुए उपकरणों की बनावट के आधार पर यहाँ के इतिहास का आरंभ पाषाण युग से माना जाता है। मध्य प्रदेश में पाषाण कालीन संस्कृति के सभी स्तर प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल को निम्नानुसार बाँटा जा सकता है-

पुरापाषाण काल (2.5 लाख से 10,000 ई. पूर्व तक)

पुरापाषाण काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। यह वह समय था जब मनुष्यों ने पत्थरों का प्रयोग करना सीखा। इस युग का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य था मानव द्वारा आग जलाना सीखना।

- मध्य प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल हैं- नर्मदा घाटी, सोन घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी आदि।
- इस युग के प्रमुख औज़ार हैं- चॉपर, हस्तकुठार, फ्लैक तथा ब्लेड जो मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये औज़ार क्वार्टजाइट जैसे नर्म पत्थरों से बने होते थे।
- होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर के बीच स्थित नर्मदा घाटी में पुरापाषाण कालीन जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित हथनौरा (होशंगाबाद) से पुरापाषाण कालीन मानव की खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- निसार अहमद द्वारा सोन घाटी में किये गए उत्खनन से कई स्थानों पर पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में विंध्य पहाड़ियों से घिरे भीमबेटका एवं सागर के निकट पहाड़ियों में पुरापाषाण कालीन शैल चित्र पाए गए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय विष्णु वाकणकर को जाता है। भीमबेटका से प्राप्त 500 गुफा चित्रों में से 5 पुरापाषाण काल के तथा शेष मध्य पाषाणकाल के हैं। इनमें पाषाण कालीन मानवीय दिनचर्या के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है।

मध्य पाषाण काल (10,000 ई. पूर्व से 5,500 ई. पूर्व तक)

इस काल में प्रयुक्त होने वाले पत्थरों के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिये इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल में पुरापाषाण काल में औज़ार बनाने में प्रयुक्त नर्म क्वार्टजाइट के स्थान पर जेस्पर, एगैट और चर्ट जैसे पदार्थ प्रयुक्त किये जाने लगे।

- इस काल के औज़ार मध्य प्रदेश की नर्मदा, बेतवा, चंबल एवं इनकी सहायक नदियों की घाटियों में पाए गए हैं।
- रतलाम, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, रीवा, सागर, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, पन्ना, धार आदि मध्य प्रदेश में स्थित मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे।

नव-पाषाण काल (5,500 ई. पूर्व से 3,000 ई. पूर्व तक)

इस काल में स्थायी निवास और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में ऐरण, आदमगढ़, जतकारा, दमोह, सागर, जबलपुर आदि प्रमुख नव-पाषाणिक स्थल हैं। इन स्थानों से नव-पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं।

ताम्र-पाषाण काल

- मध्य प्रदेश में पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं, किंतु हड़प्पा सभ्यता के पश्चात् ताम्र-पाषाण संस्कृति के अवशेष मालवा, नवदाटोली, कायथा, ऐरण, बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
- इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के औज़ार/उपकरण का प्रयोग करने लगा था, इस कारण इस काल को ताम्र-पाषाण काल कहते हैं।
- लगभग 5000 ई.पू. मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा ही था।

मध्य प्रदेश में इस काल की प्रमुख संस्कृतियाँ

मालवा संस्कृति

- **प्रमुख स्थल:** कायथा (उज्जैन), ऐरण (सागर) तथा नवदाटोली (खरगोन)।
- मालवा संस्कृति अपनी उत्कृष्ट मृद्भांड के लिये जानी जाती है।
- नवदाटोली से कृषि के साक्ष्य मिले हैं।

कायथा संस्कृति

- **प्रमुख स्थल:** कायथा एवं ऐरण।
- कायथा के मृद्भांडों पर प्राक-हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है।

लौहयुगीन संस्कृति (1,000 ई. पूर्व)

लगभग 1000–950 ई. पू. के दौरान हुई लोहे की खोज के बाद के काल को लौहयुगीन संस्कृति या उत्तर वैदिक काल कहते हैं। मुरैना, भिंड और ग्वालियर क्षेत्र में लौहयुगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर-मृद्भांड लौह युग की पहचान है।

वैदिक युग (1500 ई.पू.-600 ई.पूर्व)

इस काल का आदि ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश नहीं है। उत्तर-वैदिक काल की कुछ अनार्य जातियों के नाम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। ये जातियाँ मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करती थीं। इनमें निषादों का नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। इन जातियों का निवास सतपुड़ा और विंध्याचल के जंगलों में था।

4 मध्य प्रदेश : भौगोलिक संरचना
(Madhya Pradesh : Geographical Structure)

मध्य प्रदेश चारों ओर से पूर्णत: स्थलों से घिरा हुआ है। प्रदेश की सीमा न तो किसी सागरीय सीमा को स्पर्श करती है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। यह देश के मध्य में स्थित है, इसलिये इसे 'हृदय प्रदेश' भी कहा जाता है।

स्थिति एवं विस्तार (Status and Expansion)

- मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21° 06' उत्तरी अक्षांश से 26°30' उत्तरी अक्षांश तथा 74° 9' से 82° 48' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
- मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात। राज्य के उत्तर-पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, उत्तर-पश्चिम में राजस्थान तथा दक्षिण-पश्चिम में महाराष्ट्र स्थित है।
- राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 (अन्य स्रोतों में 3,08,245) वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम तक 870 किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है तथा उत्तर से दक्षिण तक 605 किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
- मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी एवं दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है।

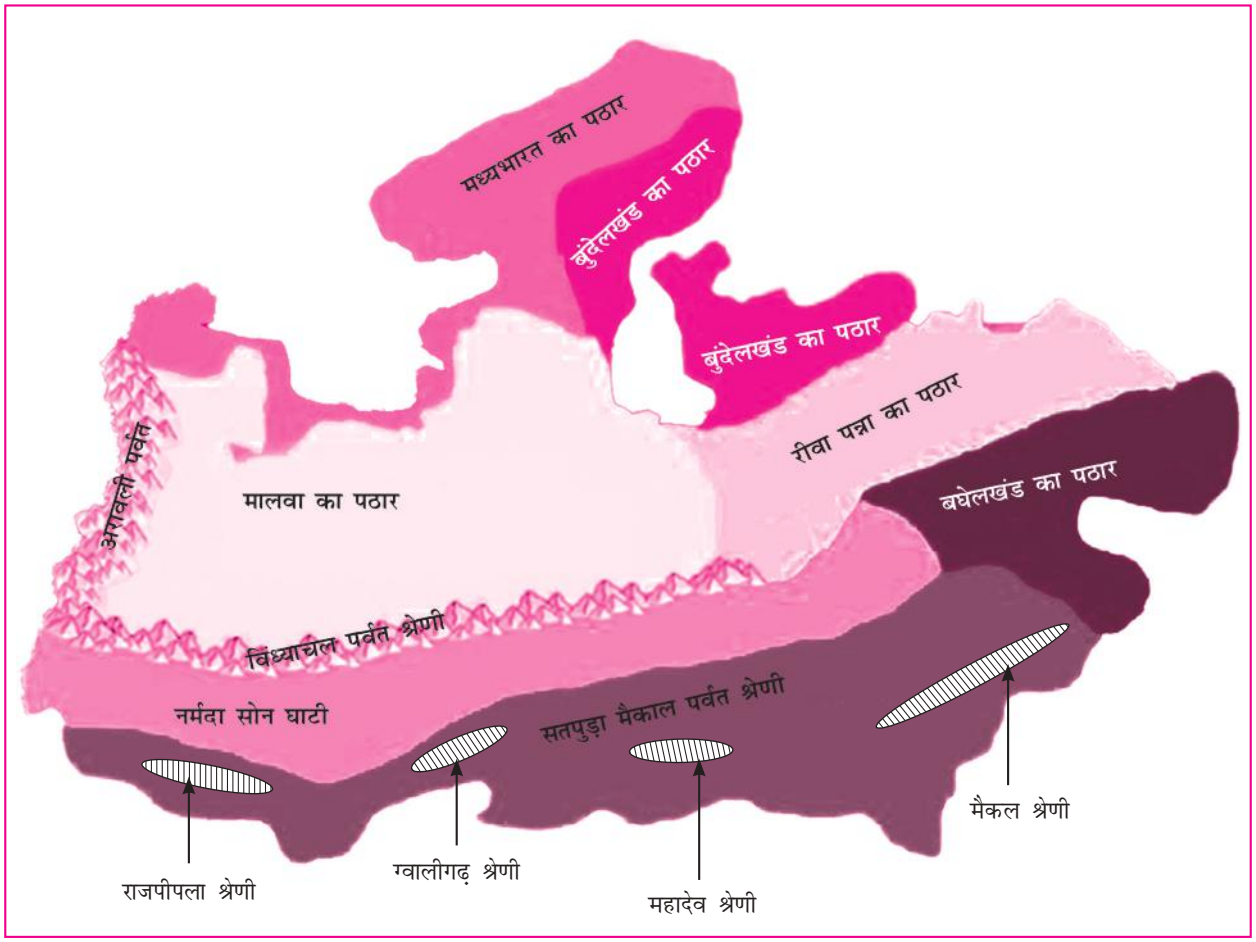

5 मध्य प्रदेश : जलवायु एवं मृदाएँ
(Madhya Pradesh : Climate and Soils)

"किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के सम्मिलित रूप को **जलवायु** कहते हैं।"

मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी प्रकार (उष्णकटिबंधीय) की है, जो भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है। यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र तट से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, औसत ऊँचाई, प्राकृतिक वनस्पति, धरातलीय स्वरूप, वायु दिशा आदि प्रमुख हैं।

कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुज़रती है जिसके कारण मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा के कारण इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है।

जलवायु क्षेत्र (Climate Zone)

मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, जिसके कारण यहाँ मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं। यहाँ के जलवायु क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है-

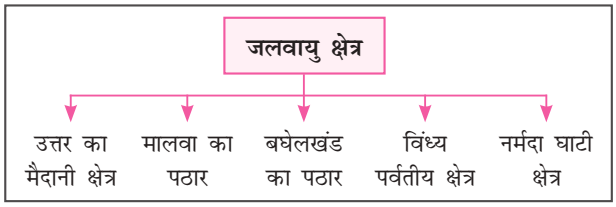

उत्तर का मैदानी क्षेत्र (Plain Area of North)

- इस क्षेत्र की जलवायु समुद्र से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय प्रकार की है। अत: यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है।
- इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 सेमी. से कम है, जिससे इसे उप-आर्द्र की श्रेणी में रखा जाता है।
- गर्मियों में इस क्षेत्र का औसत तापमान 40°C से 45.5°C तथा सर्दियों में 15°C से 18°C रहता है।

मालवा का पठार (Plateau of Malwa)

- इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। इसी कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही शीत ऋतु में अधिक ठंड।
- इस क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी मई महीने में पड़ती है। इस क्षेत्र का औसत तापमान 10°C से 15°C सर्दियों में तथा 40°C से 42°C गर्मियों में होता है।
- यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा अरब सागर से चलने वाली मानसूनी पवनों से होती है। इस क्षेत्र में वर्षा दक्षिण-पूर्व क्षेत्र से उत्तर-पूर्व की ओर घटती जाती है।

बघेलखंड का पठार (Plateau of Baghelkhand)

- बघेलखंड पठार क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी उष्णार्द्र एवं शीत ऋतु में सर्दी सामान्य एवं शुष्क होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 35.5°C तथा शीत ऋतु का 12.5°C रहता है। बघेलखंड पठार की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेमी. होती है।
- इन क्षेत्रों में सोन नदी अपवाह तंत्र का विस्तार है, इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई लगभग 400 मी. है।

विंध्य पर्वतीय क्षेत्र (Vindhya Range)

- इस पर्वतीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में न तो अधिक गर्मी और न ही शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इसलिये इसे 'स्वास्थ्यवर्द्धक क्षेत्र' कहते हैं। पचमढ़ी एवं अमरकंटक इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- यहाँ पर वर्षा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होती है।

नर्मदा घाटी क्षेत्र (Narmada Valley Area)

- नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में सामान्य ठंड रहती है। ऐसा इसलिये होता है क्योंकि यह क्षेत्र कर्क रेखा के समीप स्थित है।
- यहाँ अधिकतम तापमान मई में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर में रहता है। चट्टान वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में कई बार 46°C से 50°C के बीच तापमान रहता है।
- यहाँ वर्षा की दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती जाती है। यहाँ वर्षा सामान्यत: 57.5 सेमी. से 142.5 सेमी. तक होती है।
- नर्मदा, दुधी, तवा, शक्कर आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं।

ऋतुएँ (Seasons)

मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आँकड़ों को एकत्र करने वाली वेधशाला इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में मुख्यत: तीन ऋतुएँ पाई जाती हैं-

1. ग्रीष्म ऋतु 2. वर्षा ऋतु 3. शीत ऋतु

ग्रीष्म ऋतु (Summer Season)

- ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक रहती है। प्रदेश का अधिकतम तापमान मई महीने में रहता है। समताप रेखा ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश को दो बराबर भागों में विभक्त करती है।

6 मध्य प्रदेश : नदियाँ एवं नदी घाटी परियोजनाएँ
(Madhya Pradesh : Rivers and River Valley Projects)

पूरे इतिहास में मानव सभ्यताओं के अस्तित्व व उत्तरजीविता में नदियों की अभिनव भूमिका रही है। विश्व की सभी प्रमुख सभ्यताएँ किसी-न-किसी नदी या नदी तंत्र के आस-पास ही विकसित हुईं। भारत के संदर्भ में नदियों का महत्त्व अति विशिष्ट है, सिंधु व गंगा नदी की घाटियों में वर्तमान विश्व की प्राचीनतम सामाजिक व्यवस्था ने जन्म लिया व प्रगति की। नदियों ने भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को पोषित करने का काम सदा से किया है व नदियों का अर्थव्यवस्था में आज भी अद्वितीय योगदान है।

मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की कृषि पर नदियों और सिंचाई के अन्य साधनों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। नदियों को कृषि आधारित राज्यों की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि वे क्षेत्र विशेष के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। नदियाँ न सिर्फ सिंचाई करती हैं, बल्कि जल विद्युत उत्पादन, मत्स्योत्पादन भी इन्हीं के माध्यम से होता है। राज्य में नर्मदा और यमुना बेसिन के विशाल क्षेत्र हैं। अनेक नदियों के उद्‌गम व प्रवाह के फलस्वरूप मध्य प्रदेश को 'नदियों का मायका' कहा जाता है।

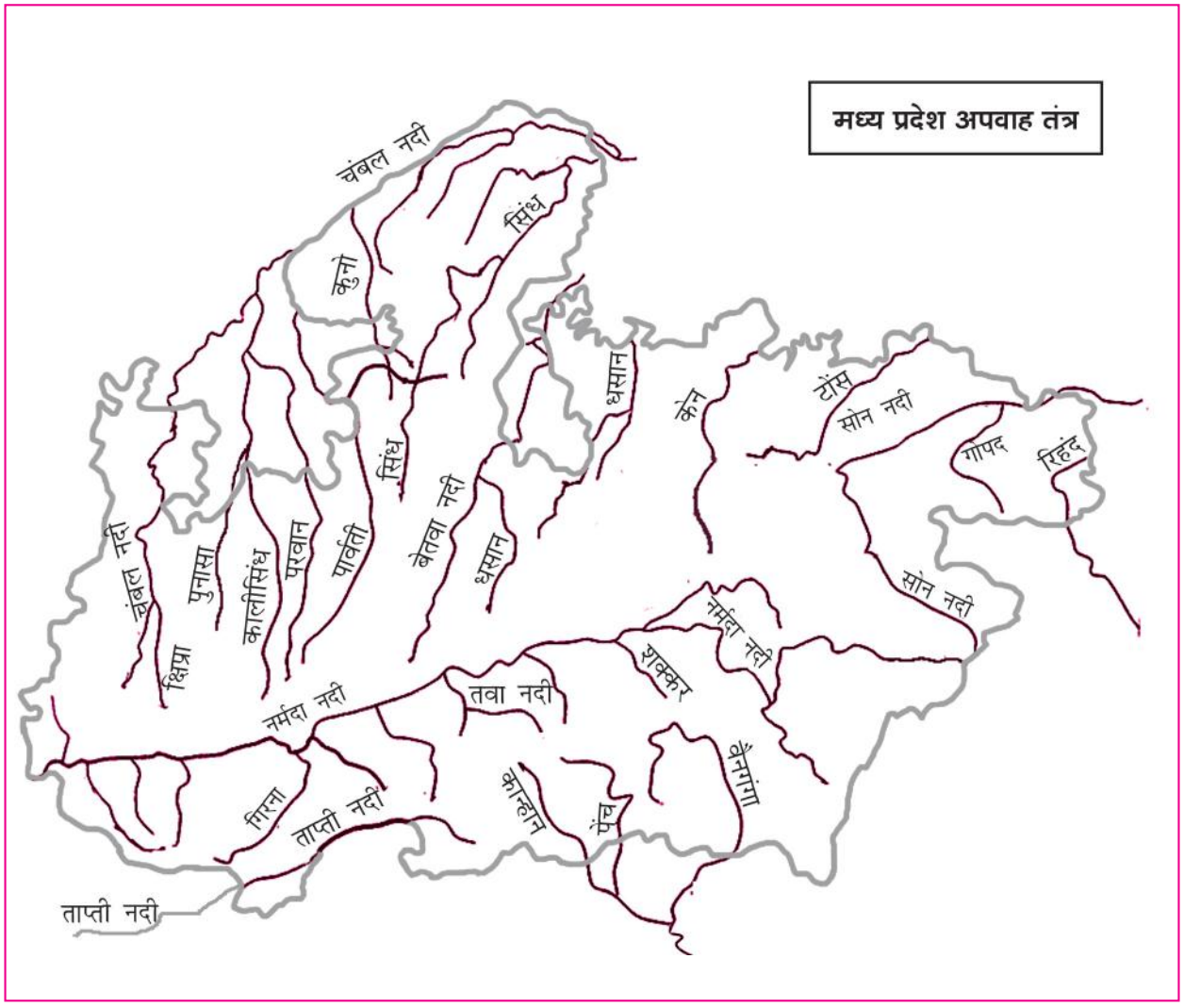

7 मध्य प्रदेश : वन तथा वन्यजीव अभयारण्य
(Madhya Pradesh : Forest and Wildlife Sanctuary)

भारत के हृदय स्थल के रूप में स्थित मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता विशेषकर वन एवं वन्य प्राणियों की विविधता के लिये जाना जाता है। प्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएँ एवं उनके जलग्रहण क्षेत्र वनाच्छादित होने के कारण ही कृषि एवं कृषि पर निर्भर जनसंख्या का पोषण कर पाते हैं। मंडला, डिंडोरी, शहडोल तथा बालाघाट में साल के वन हैं, चंबल क्षेत्र के ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड तथा दतिया में करधई तथा झाड़ीदार वन हैं, शेष क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन वन है।

वनों से लकड़ी के अलावा बाँस एवं प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। प्रदेश औषधीय पौधों के समृद्ध संसाधनों से परिपूर्ण है।

- मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। तथा यहीं पर राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय भी है।
- प्रदेश में 1979 में प्रथम 'वन राजिक महाविद्यालय (फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज)' बालाघाट में स्थापित किया गया तथा दूसरा 1980 में बैतूल में।
- देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीय वनीकरण के तहत सर्वप्रथम तेंदू पत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- तेंदू पत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ से देश का 60 प्रतिशत तेंदू पत्ता उत्पादित होता है।
- मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन जुलाई 1975 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना भोपाल में की गई।
- मध्य प्रदेश में 1976 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई।
- प्रदेश के जिन ज़िलों में वन क्षेत्र 33% से कम है, उनमें वन क्षेत्र बढ़ाने के लिये 1976-77 से 'पंचवन योजना' शुरू की गई है।
- मध्य प्रदेश में वन रक्षकों के प्रशिक्षण के लिये बैतूल, अमरकंटक, लखनादौन, शिवपुरी, रीवा तथा झाबुआ में वन विद्यालय एवं पचमढ़ी में इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला स्थापित किये गए हैं। इसके अतिरिक्त बालाघाट में वन क्षेत्रफल महाविद्यालय तथा उमरिया में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित हैं।
- **भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017-**

सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (% में)	
लक्षद्वीप	90.33%
मिज़ोरम	86.27%
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	81.73%

वनों का भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Area of Forests)

सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य (वर्ग किमी.)	
मध्य प्रदेश	77,414
अरुणाचल प्रदेश	66,964
छत्तीसगढ़	55,547
वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य	
आंध्र प्रदेश	2141 वर्ग किमी.
कर्नाटक	1101 वर्ग किमी.
केरल	1043 वर्ग किमी.

- भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2017 के अनुसार उपग्रहों द्वारा प्रदत्त डाटा के आधार पर मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 77414 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25.11% है। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में से 6563 वर्ग किमी. अति सघन वन, 34571 वर्ग किमी. मध्यम सघन वन तथा 36,280 किमी. खुले वन हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में 2015 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में कमी देखी गई है।
- राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल वनों का विस्तार 94,689 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में है जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% तथा देश के कुल वन क्षेत्रों का 12.38% है। ध्यातव्य है कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत वह वन क्षेत्र आता है जिसे राज्य सरकार द्वारा वन घोषित कर दिया गया है, वहीं भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले 'भारतीय वन सर्वेक्षण' द्वारा जारी की जाने वाली 'भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट' में उपग्रहों द्वारा प्रदत्त डाटा के आधार पर वन क्षेत्र का मापन किया जाता है।
- वनों में वृद्धि, विकास और रख-रखाव के प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को 3 भागों में बाँटा गया है-

वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण

आरक्षित वन (Reserved Forest)

- भारतीय वन अधिनियम या किसी अन्य राज्य वन अधिनियम के तहत निर्मित ऐसे क्षेत्र जिसमें वनों की पूर्ण सुरक्षा निहित हो, आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण वनों को रखे जाते हैं। इन वनों को सरकारी संपत्ति माना जाता है तथा इसका प्रबंधन प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है।
- आरक्षित वनों में लकड़ी काटना, पशुचारण तथा आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 54.4% भाग इन वनों के अंतर्गत आता है।

8

मध्य प्रदेश : कृषि एवं पशुपालन
(Madhya Pradesh : Agriculture and Animal Husbandry)

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। यहाँ की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है, फिर भी यह राज्य कृषि क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। इसकी वजह कृषि की मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, आधुनिक कृषि यंत्रों का अभाव, अविकसित तकनीक तथा अशिक्षा है।

राज्य की महत्त्वपूर्ण फसल सोयाबीन है जिसके कारण प्रदेश को 'सोया प्रदेश' भी कहा जाता है। खाद्यान्न फसलों में गेहूँ प्रमुख रूप से बोया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान फसल क्षेत्र में 1.61 प्रतिशत की कमी हुई है।

- मध्य प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में जबलपुर में की गई। इसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वद्यिालय के नाम से जाना जाता है।
- प्रदेश में कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 से राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया है।
- इस प्रदेश का सोयाबीन, चना, अलसी, दलहन, एवं अफीम के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है तथा ज्वार, तिलहन एवं अरहर के उत्पादन में द्वितीय स्थान है।
- यहाँ दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये वर्ष 1998-99 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना प्रारंभ की गई।
- मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदलकर 'किसान कल्याण तथा कृषि विभाग' कर दिया गया है। किसानों के हितों के संरक्षण हेतु प्रत्येक ज़िले में एक 'किसान परिषद्' का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष ज़िला पंचायत अध्यक्ष होता है।

कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है

- **पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश:** मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन आदि ज्वार एवं कपास के प्रदेश हैं।
- **उत्तर में ज्वार-गेहूँ का प्रदेश:** मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर तथा टीकमगढ़ ज़िलों में है। एक अन्य प्रदेश छिंदवाड़ा तथा बैतूल में भी है।
- **मध्य गेहूँ का प्रदेश:** इसमें भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर तथा दमोह ज़िले शामिल हैं।
- **चावल-गेहूँ का प्रदेश:** इसमें उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी के दक्षिण तक की पेटी शामिल हैं।
- **संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश (चावल का प्रदेश):** इसमें रीवा, सीधी शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट आदि ज़िले सम्मिलित हैं।

राज्य की प्रमुख फसलें (Major Crops of the State)

राज्य की प्रमुख फसलों में गेहूँ, मक्का, चना, चावल, अरहर, दलहन, सोयाबीन, तिलहन, राई, अलसी, तिल, मटर आदि शामिल हैं। वाणिज्यिक फसलों में कपास, गन्ना, अफीम, मसाले, मेस्टा, गाँजा, सनई आदि प्रमुख हैं।

फसल	भौगोलिक स्थिति एवं विशेषताएँ
गेहूँ	• यह प्रदेश की महत्त्वपूर्ण फसल है। इसकी बुआई रबी के मौसम में होती है। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचित फसल है। • प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ मालवा के पठार क्षेत्र में होता है। गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होशंगाबाद ज़िले में होता है तथा इसके अलावा रायसेन, भोपाल एवं विदिशा भी गेहूँ उत्पादन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। • गेहूँ की आवश्यक भौगोलिक दशाओं में 50–75 सेमी. की वर्षा तथा गेहूँ की बुआई के समय आवश्यक तापमान 10°C–15°C तथा पकने के लिये 20°C–25°C तापमान की आवश्यकता होती है। • प्रदेश में गेहूँ की सर्वाधिक उपज दर रतलाम ज़िले में पाई जाती है। राज्य में फसलों का उत्पादन घटते क्रम में क्रमशः गेहूँ, सोयाबीन, चना, चावल, मक्का, कपास एवं ज्वार है। • गेहूँ की खेती उचित सिंचाई प्रबंध के साथ सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, विपुल उत्पादन के लिये गहरी एवं मध्यम दोमट भूमि सर्वाधिक उपयुक्त हैं। • मध्य प्रदेश में उपजाए जाने वाला शर्बती गेहूँ अपने स्वाद की उत्कृष्टता के लिये विश्व प्रसिद्ध है। • मध्य प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला अनाज है।
सोयाबीन	• यह खरीफ फसल है। • मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है, इसकी वजह से प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है।

9

मध्य प्रदेश : खनिज संसाधन
(Madhya Pradesh : Mineral Resources)

मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार उपलब्ध हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। मध्य प्रदेश राष्ट्र के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। हीरा उत्पादन में इस राज्य को भारत में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ-साथ ताम्र अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में भी इसे राष्ट्र में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रदेश को रॉक फॉस्फेट एवं चूना-पत्थर के उत्पादन में राष्ट्र में द्वितीय स्थान प्राप्त है। कोयला उत्पादन में प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर चौथा है।

प्रदेश में खनिज वितरण
(Mineral Distribution in the State)

विशिष्ट शैल समूहों के द्वारा प्रदेश में खनिजों का वितरण निर्धारित किया जाता है। परंतु शैल समूह का वितरण समान नहीं होने के कारण प्रदेश में खनिजों के वितरण में असमानता पाई जाती है। प्रदेश में प्रमुख खनिजों का विवरण निम्नानुसार है-

प्रमुख खनिज	
लौह अयस्क	• लौह अयस्क के भंडार मध्य प्रदेश में कम मात्रा में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में लौह-अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं, जिनमें जबलपुर, मंडला, बालाघाट और विदिशा आदि ज़िले शामिल हैं। • लौह-अयस्क के उत्पादन में प्रदेश का देश में 6वाँ स्थान है। हेमेटाइट अयस्क के भंडार जबलपुर ज़िले के उत्तर-पूर्वी भाग में बिजवार सीरीज में पाए जाते हैं। इनमें अगरिया, सरौली, जौली, कन्हवारा पहाड़ियाँ और सीहोरा क्षेत्र के निक्षेप मुख्य हैं। साथ ही लेटेराइट प्रकार (लौह अंश) का 40 प्रतिशत तक लौह अयस्क विदिशा, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, शिवपुरी, धार, झाबुआ एवं ग्वालियर में मिलता है।
मैंगनीज	• मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मैंगनीज धातु प्रायः काले रंग के प्राकृतिक भस्म के रूप में आर्कियन काल की धारवाड़ संरचनाओं में पाई जाती है। • प्रदेश के बालाघाट ज़िले में स्थित भरवेली की खदान एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है तथा यह खुले मुँह की सबसे बड़ी खदान भी है। • प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन में छिंदवाड़ा का दूसरा स्थान है। इसके अलावा मैंगनीज झाबुआ, जबलपुर तथा मंडला में भी मिलता है। • मध्य प्रदेश में देश के कुल मैंगनीज का लगभग 50 प्रतिशत भंडार है। • मैंगनीज की कुल खपत का लगभग 95 प्रतिशत भाग धातु निर्माण में उपयोग होता है। मैंगनीज का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में होता है। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिये लोहे के साथ मैंगनीज को मिश्रित किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग शुष्क बैटरी, काँच उद्योग तथा विभिन्न रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। • मैंगनीज का निर्यात अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और रूस को किया जाता है।
तांबा	• तांबा आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तांबा सर्वाधिक लचीला व विद्युत का सुचालक धातु होता है। अतः इसका अत्यधिक उपयोग विद्युत सामग्रियों/उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। • तांबे का प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में बालाघाट ज़िले की बैहर तहसील का 'मलाजखंड' है। उल्लेखनीय है कि यह देश की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। • इसके अलावा जबलपुर, सागर, छतरपुर, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में भी तांबा पाया जाता है। • भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है तथा संचित भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है।
टंगस्टन	• टंगस्टन मुख्य रूप से बूलफ्राम अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात को काटने, बिजली के बल्ब के फिलामेंट, ट्यूब, एक्स-रे, पारा संशोधकों, रडार, रेडियो, टेलिविजन यंत्रों आदि में किया जाता है। • मध्य प्रदेश में होशंगाबाद ज़िले के 'आगरगाँव' नामक स्थान से टंगस्टन खनिज प्राप्त होता है।

10 मध्य प्रदेश : ऊर्जा संसाधन
(Madhya Pradesh : Energy Resources)

किसी भी देश या प्रदेश की उन्नति में ऊर्जा संसाधन आधार तत्त्व होता है। ऊर्जा संसाधन जीवन स्तर के सुधार एवं तकनीकी विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है, लेकिन उनके दोहन के मामले में पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इस प्रदेश का सबसे बड़ा उपक्रम है, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। उल्लेखनीय है कि खनिज तेल, कोयला, आणविक खनिज, प्राकृतिक गैस एवं जल विद्युत ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, जबकि सौर ऊर्जा, बायो गैस, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा आदि गैर-पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा का बड़ा भाग परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ही प्राप्त होता है, किंतु यह ऐसा स्रोत है, जिसके भंडार सीमित हैं तथा यह भविष्य में समाप्त हो सकता है।

ऊर्जा (Energy)

कोयला: कोयला उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रमुख स्थान है, जिसके कारण यहाँ अनेक ताप विद्युत केंद्र स्थापित किये गए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर (शहडोल) में स्थित है। इन क्षेत्रों में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग हो जाने के बाद मध्य प्रदेश के लिये ऊर्जा संसाधन अधिक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अधिकांश परंपरागत ऊर्जा भंडार छत्तीसगढ़ राज्य में जा चुके हैं, जिनमें कोयला क्षेत्र प्रमुख है, जबकि विभाजित मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली तथा सतपुड़ा प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है।

ताप विद्युत गृह: कोयले से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को 'ताप विद्युत' कहते हैं। प्रदेश में लगभग दो-तिहाई विद्युत ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न की जाती है। इसके केंद्र निम्नलिखित हैं-

ताप विद्युत गृह (Thermal Power Plant)

नाम	क्षमता (मेगावट)	महत्त्व
अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई (अनूपपुर)	450	सोहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित, कोयले की आपूर्ति अमलाई एवं चचाई खानों से तथा जल आपूर्ति सोन नदी से
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी (बैतूल)	1330	पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित, जल आपूर्ति तवा नदी पर बांध बनाकर
संजय गांधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर (उमरिया)	1340	जोहिला नदी बांध द्वारा जल आपूर्ति
विंध्याचल वृहत् ताप विद्युत परियोजना, (सिंगरौली)	3760	सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित, सोवियत संघ की सहायता से निर्माणाधीन, प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा संयंत्र है।
बीना ताप विद्युत गृह, सागर	500	विंध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में
चांदनी ताप विद्युत गृह, नेपानगर (बुरहानपुर)	17	नेपानगर के अखबारी कागज़ के कारखाने को विद्युत आपूर्ति करता है।

- **अमरकंटक ताप विद्युत गृह:** वर्तमान में चचाई स्थित अमरकंटक ताप विद्युत गृह परिसर में 1 × 210 तथा 2 × 120 मेगावाट की कुल तीन इकाइयाँ स्थापित हैं। इसे कोयला, सोहागपुर कोयला क्षेत्र की अमलाई और चचाई खदानों से मिलता है।
- **सतपुड़ा ताप विद्युत गृह:** यह बैतूल ज़िले के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित है। इसकी कुल क्षमता 1330 मेगावाट है। इस केंद्र को तवा नदी के बांध में बने जलाशय से जल प्राप्त होता है।
- **विंध्याचल वृहत् ताप विद्युत गृह:** इसकी आधारशिला 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। यह परियोजना सिंगरौली ज़िले में बैढ़न नामक स्थान पर दो चरणों में पूर्ण की गई। इसके समीप सिंगरौली क्षेत्र में कोयले की वृहद् खानें हैं। यह विद्युत गृह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) द्वारा संचालित है। इस परियोजना का प्रथम चरण पूर्व सोवियत संघ तथा द्वितीय चरण विश्व बैंक के टाइम स्लाइस ऋण की सहायता से पूर्ण किया गया। इसे रिहंद जलाशय से जल उपलब्ध कराया जाता है।
- यह परियोजना सुपर विद्युत ताप गृहों की शृंखला का हिस्सा है, जिसकी कुल अनुमोदित क्षमता 4760 मेगावाट है तथा संस्थापित क्षमता 3760 मेगावाट है।
- **चांदनी ताप विद्युत गृह:** यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत गृह है जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। नेपानगर के कागज़ कारखाने को विद्युत आपूर्ति के लिये इसकी स्थापना की गई। इसकी कुल क्षमता 17 मेगावाट है।
- **जबलपुर ताप विद्युत केंद्र:** इसका संचालन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा किया जाता है।

11 मध्य प्रदेश : औद्योगीकरण एवं नियोजन
(Madhya Pradesh : Industrialisation and Planning)

किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ उद्योगों का विकास किया जाए। मध्य प्रदेश एक खनिज संसाधन संपन्न प्रदेश है, फिर भी यह औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है। अपनी कुछ समस्याओं के कारण यहाँ औद्योगीकरण काफी धीमी गति से हुआ। यद्यपि 1990 के बाद वैश्वीकरण एवं उन्मुक्त व्यापार होने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश के अलग-अलग प्रदेशों को बड़े बाज़ारों के रूप में उभारा, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार औद्योगीकरण से विकास करने के लिये विभिन्न नीतियाँ बना रही है।

कैट (CAT)

कैट (Centre for Advanced Technology) को मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। यह विश्व का तीसरा तथा एशिया में प्रथम लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है। कैट का नाम दिसंबर 2005 में राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिक केंद्र (RRCAT) कर दिया गया है। यह BARC (Bhabha Atomic Research Centre) की एक यूनिट के रूप में स्थापित है।

मध्य प्रदेश में उद्योगों का नियोजित विकास

- भारत ने वर्ष 1951 में पंचवर्षीय योजना के ज़रिये आर्थिक नियोजन को अपनाया, चूँकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर विशेष बल दिया गया था इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई।
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल (1956–61) में भोपाल में भेल (भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड-BHEL) भिलाई में लौह-इस्पात कारखाना, भोपाल पावर अल्कोहल प्लांट, रतलाम कॉटन सीड तथा साल्वेंट-एक्सट्रेक्ट प्लांट, उज्जैन में कॉटन स्पिनिंग मिल, सनावद, ग्वालियर एवं इंदौर में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स स्थापित किये गए।

भेल (BHEL)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की घोषणा के अनुसार सन् 1964 में ब्रिटेन के सहयोग से भोपाल में 'भेल' की स्थापना की गई। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर, टर्बाइन, रेफ्रीजरेटर आदि उपकरण बनाए जाते हैं। भेल (BHEL) को वर्तमान में भारत की महारत्न कंपनियों में शामिल किया गया है।

- चौथी पंचवर्षीय योजना काल (1969–74) में सार्वजनिक क्षेत्र में पेपर जैसे इमुनोटेड कंडक्ट प्लांट, हाइड्रोजनरेट ऑयल प्लांट तथा फेरिक एसिड इत्यादि का विकास किया गया।
- छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) से मध्य प्रदेश में औद्योगीकरण के विकास में वृद्धि होने लगी।
- मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना दिसंबर 1961 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शासकीय कंपनी के रूप में की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति करना तथा उत्पादित सामानों के विपणन की व्यवस्था करना, साथ ही शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभागों और उपक्रमों को उचित गुणवत्ता की सामग्री प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्रदान करना है।
- मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई। इसका मुख्यालय भोपाल में है। यह निगम प्रदेश के बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।
- अक्तूबर 1987 में प्रदेश में औद्योगिक केंद्र विकास निगम (भोपाल) का गठन किया गया। निगम को उसके क्षेत्राधिकार में औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना के माध्यम से औद्योगिक विकास उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- मध्य प्रदेश को देश के औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिये सरकार द्वारा औद्योगिक नीति और कार्य योजना, 1994 लाई गई। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति और सुदृढ़ता प्रदान करना, अधिक पूंजीगत निवेश को आकर्षित करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना और लोगों के जीवन के उन्नयन में सहायता के लिये अतिरिक्त रोज़गार के अवसर प्रदान करना है।
- मध्य प्रदेश में दूरसंचार के उद्देश्य से देश का पहला ऑप्टीकल फाइबर कारखाना जापान के सहयोग से मंडीद्वीप (रायसेन) में स्थापित किया गया।
- प्रदेश के गुना ज़िले में गैस आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है। इस कारखाने का निर्माण इटली तथा अमेरिका के सहयोग से हुआ है।
- मध्य प्रदेश के पीथमपुर में प्रदेश का पहला निर्यात संवर्द्धन पार्क स्थापित किया गया है। तथा पीथमपुर औद्योगिक केंद्र को 'भारत का डेट्रायट' कहा जाता है।
- पीथमपुर में 'ऑटो टेस्टिंग सेंटर' विकसित किया गया है। ऑटो उद्योग को बढ़ावा देने के लिये यहाँ पर भारत सरकार द्वारा ₹73.29 करोड़ से ऑटो क्लस्टर की स्थापना की गई है।
- भारत-ओमान रिफायनरी लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सागर ज़िले के आगासौंद (बीना तहसील) में तेल शोधन कारखाने की स्थापना की गई है।

12 मध्य प्रदेश : परिवहन एवं संचार
(Madhya Pradesh : Transport and Communication)

परिवहन (Transport)

प्रदेश में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से यातायात मार्गों एवं परिवहन संसाधनों का विशेष महत्त्व है। आवागमन हेतु राज्य में सड़कों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। परिवहन साधनों का महत्त्व किसी प्रदेश के विकास के लिये उतना ही होता है, जितना शरीर में रक्त धमनियों का राज्य में उपलब्ध खनिज, वनोपज, कृषि उपज, उपभोक्ता वस्तुओं एवं जनसामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिये रेल एवं सड़क मार्गों का होना अत्यंत आवश्यक होता है।

प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई की अपर्याप्तता के फलस्वरूप सड़क यातायात पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है।

मध्य प्रदेश में परिवहन के तीन मुख्य साधन हैं-

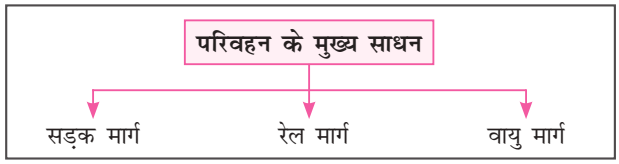

सड़क मार्ग (Roadways)

- जनवरी 2018 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 64719 किमी. रही तथा उसमें बढ़ोतरी हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
- मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाला ज़िला सतना है, जबकि सबसे न्यूनतम घनत्व वाला ज़िला श्योपुर है।
- मध्य प्रदेश में वर्ष 2005 को सड़क वर्ष के रूप में मनाया गया है। जिसमें NH-3 (आगरा-मुंबई), प्रदेश से गुज़रने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग (717 किमी.) है तथा NH-76 (उदयपुर-इलाहाबाद) सबसे छोटा (30 किमी.) है।
- NH-7 (वाराणसी-कन्याकुमारी) प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी प्रदेश में लंबाई 511 किमी. है।
- प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में विभिन्न श्रेणी के मार्गों का निर्माण किया जाताा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways)

- देश के दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाले सड़क मार्गों को 'राष्ट्रीय राजमार्ग' कहा जाता है, इनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है।
- मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुज़रने वाले 46 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 7806 किमी. है, जिसमें सर्वाधिक लंबाई 717 किमी. आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग-3 की है। वाराणसी-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-7) प्रदेश से गुज़रने वाला प्रदेश का दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 511 किमी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य को देश के मुंबई, आगरा, वाराणसी, कन्याकुमारी, जयपुर, लखनऊ, झाँसी, इलाहाबाद, अहमदाबाद, रेनुकूट, ऊधमपुर, कोटा, बाँदा, अजमेर, कानपुर, आदि महत्त्वपूर्ण नगरों से जोड़ते हैं।
- **उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर का निर्माण:** उक्त योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग में पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर के अंतर्गत लगभग 511 किमी. एवं उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर के अंतर्गत 111 किमी. (कुल 622 किमी.) का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली को हस्तांतरित किया जा चुका है एवं विशेष योजना के अंतर्गत 300 किमी. लंबाई वाले राजमार्ग का निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है।

राज्य राजमार्ग (State Highways)

राज्यों की राजधानियों को ज़िला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें 'राज्य राजमार्ग' कहलाती है। इनके निर्माण व निगरानी का दायित्व राज्य के लोक निर्माण विभाग का होता है। प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 2017-18 के जनवरी तक 11389 किमी. रही। मध्य प्रदेश में प्रांतीय राजामार्गों की संख्या 48 है। प्रदेश का सबसे बड़ा प्रांतीय राजमार्ग चिल्पी से बड़ोदरा है तथा सबसे छोटा थांदला से कुशलगढ़ है।

ज़िला मार्ग (District Roads)

- राज्य में वर्ष 2017-18 के जनवरी तक मुख्य ज़िला मार्ग की कुल लंबाई 22129 किमी. रही।
- मार्गों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ज़िले के नगरों, बड़ी बस्तियों और अन्य प्रशासनिक केंद्रों को ज़िला मुख्यालय से जोड़ना है।
- राज्य में सबसे कम सड़क श्योपुर में है। मुख्य ज़िला मार्गों की लंबाई की दृष्टि से मध्य प्रदेश, देश में तुलनात्मक रूप से पीछे है।

ग्रामीण मार्ग (Rural Roads)

- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण बुनियादी संरचना के विकास को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार की इसी प्रतिबद्धता के कारण ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध विकास किया गया है।
- मध्य प्रदेश में ग्रामीण मार्ग की लंबाई 24209 किमी. है।

13 मध्य प्रदेश : पर्यटन
(Madhya Pradesh : Tourism)

मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास करने के उद्देश्य से 1978 में राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। प्रदेश में पर्यटन के विस्तार, निजी निवेशकों को आकर्षित करने, पर्यटन नीति के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में समग्र पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन के कार्य के संपादन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड का गठन 22 फरवरी, 2017 को किया गया। बोर्ड के गठन के पूर्व जो गतिविधियाँ मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत थीं, जैसे- पर्यटन संवर्द्धन इकाई, पब्लिकसिटी, योजना एवं साहसिक व जल पर्यटन आदि, अब मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड के अंतर्गत आ गई हैं।

मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल (Tourism Sites of Madhya Pradesh)

क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है जो पर्यटन की दृष्टि से देश में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ चारों ओर बिखरी हुई प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। मध्य प्रदेश में अनेक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं जिन्हें चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है-

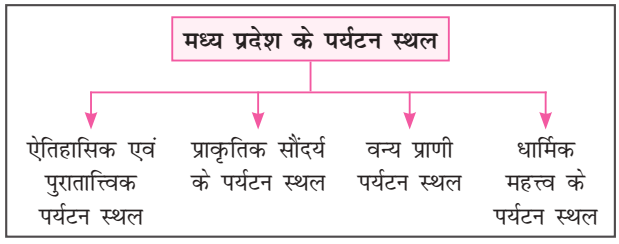

ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक पर्यटन स्थल

इन स्थलों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जाता है-

गुफाएँ	
भीमबेटका की गुफा (विश्व धरोहर)	• ये गुफाएँ भोपाल से लगभग 46 किमी. दूर दक्षिण में रायसेन ज़िले में स्थित हैं। गुफाएँ चारों तरफ से विंध्य पर्वत मालाओं से घिरी हुई हैं। • यह मध्य प्रदेश की प्राचीनतम गुफा है, जो पुरापाषाण संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। • इस गुफा को खोजने का श्रेय विष्णु वाकणकर को जाता है। • इस गुफा को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्त्व स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। • विश्व धरोहर की सूची में यह मध्य प्रदेश का तीसरा स्थल है। इसके पूर्व खजुराहो के मंदिर और साँची के स्तूप भी विश्व धरोहर के रूप में शामिल किये जा चुके हैं।
उदयगिरि की गुफाएँ	• मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में स्थित उदयगिरि में 20 गुफाएँ हैं। ये गुफाएँ चौथी-पाँचवीं शताब्दी की हैं। गुफा नं. 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित हैं, जबकि गुफा नं. 5 वराह अवतार से संबंधित है। • ये गुप्त वंश की अद्भुत निर्माण कला के उत्तम उदाहरण हैं।
भर्तृहरि गुफाएँ	• ये गुफाएँ उज्जैन में स्थित हैं। इन गुफाओं की कुल संख्या 9 हैं, जिनमें से कुछ खंडित हो चुकी हैं। • परमार वंश के राजाओं ने इन गुफाओं का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भर्तृहरि की स्मृति में कराया था। • ये गुफाएँ उज्जैन से लगभग 12 किलोमीटर दूर कलियादह महल के पास स्थित हैं। • इन गुफाओं में निर्मित सभी चित्र रंगीन हैं, जो उज्जैन नगर की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं।
मृगेंद्रनाथ गुफा	• मध्य प्रदेश के पुरातत्त्व विभाग द्वारा इस गुफा की खोज वर्ष 2009 में की गई। ये गुफाएँ जैन धर्म से संबंधित हैं। • यह गुफा रायसेन ज़िले के पाटनी गाँव के समीप स्थित है। • इसकी लंबाई लगभग एक किलोमीटर है, जो राज्य की भीमबेटका गुफाओं से समानता रखती है।
बाघ की गुफाएँ	• ये गुफाएँ धार ज़िले के समीप बाघनी नदी के किनारे बाघ नामक स्थल पर स्थित हैं। • इन गुफाओं का आकलन अजंता की गुफाओं की कलापूर्ण भित्ति-चित्रों से की जाती है। • इन चित्रों का निर्माण चौथी से सातवीं शताब्दी के मध्य किया गया है। इन्हें बौद्ध चित्रों के प्राण भी कहते हैं। • इनमें कुल 9 गुफाएँ थीं, जिनमें से 4 नष्ट हो गई हैं। • गुफा नं. 2 में 5 बौद्ध मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिन्हें स्थानीय लोग पाँच पांडव मानते हैं। • गुफा नं. 4 को रंगमहल कहा जाता है।

14 मध्य प्रदेश : कला एवं संस्कृति
(Madhya Pradesh : Art and Culture)

मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति अति प्राचीन है। कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा सांस्कृतिक नीति निर्धारित की गई है। संस्कृति सलाहकार मंडल द्वारा मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नीति के लिये निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं-

- मध्य प्रदेश में कला के क्षेत्र में स्वतंत्रता और सम्मान के साथ विकास के अवसरों व साधनों में वृद्धि करना।
- कला संबंधी संस्थाओं का पुनर्गठन और विस्तार करना।
- मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करना।
- आम नगारिकों के लिये विभिन्न कलाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना।

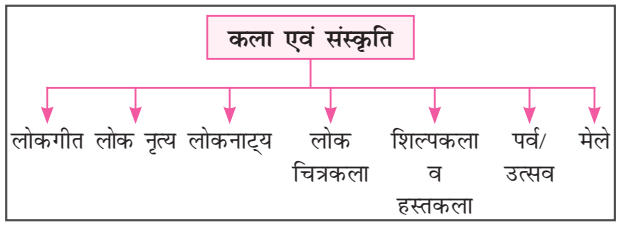

लोकगीत (Folk Song)

लोकगीत लोक के गीत हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिये लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है।

निमाड़ क्षेत्र: निमाड़ क्षेत्र में जीवन का कोई भी अवसर ऐसा नहीं होता, जब कोई गीत न गाया जाता हो। यहाँ जन्म, विवाह और मृत्यु आदि सोलहों संस्कारों के अवसरों पर अलग-अलग लोकधुनों में लोकगीत गाए जाते हैं। संस्कार गीत प्रायः महिलाएँ गाती हैं। पर्व-त्योहार या अनुष्ठान में गीतों की प्रकृति स्त्री और पुरुष परक दोनों होती है।

निमाड़ क्षेत्र	
निरगुणिया गायन शैली	• इस गायन का क्षेत्र संपूर्ण निमाड़ एवं मालवा अंचल के कुछ भागों में मिलता है। • निमाड़ी लोक में निरगुणी और सगुणी संत-कवियों की छाप लगाकर पदों की रचना और गाने की सुदीर्घ और समृद्ध परंपरा रही है। • इस गायन में कबीर, सूर, तुलसीदास, मीरा, रैदास, दादू, ब्रह्मानंद आदि कवियों के भजन काफी लोकप्रिय हैं। • इस गायन में आम तौर पर इकतारा और खरताल (लकड़ी से जुड़े छोटे धातु पटल वाला एक वाद्ययंत्र) का उपयोग होता है। निरगुणिया गायन को नारदीय भजन भी कहा जाता है।
कलगी-तुर्रा	• कलगी-तुर्रा प्रतिस्पर्धात्मक लोक-गायन शैली है। इस गायन शैली का प्रसार एक समय कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक था। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड में कलगी-तुर्रा गायन-मंडलियाँ अभी भी मौजूद हैं। • चंग की थाप पर कलगी-तुर्रा गाया जाता है। इसके दो अखाड़े होते हैं- एक कलगी अखाड़ा, दूसरा तुर्रा अखाड़ा। अखाड़े के गुरु को उस्ताद कहते हैं। • कलगी दल 'शक्ति' और तुर्रा दल 'शिव' को बड़ा बताने की कोशिश करता है। • इस लोकगीत में महाभारत के पौराणिक आख्यानों, आशु कविता से लेकर वर्तमान प्रसंगों का गायन सम्मिलित है।
मसाण्या (कायाखो) गीत	• यह गीत निमाड़ अंचल क्षेत्र में गाया जाता है। • किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी आत्मा की अमरता की लोक मान्यता के चलते इस गीत का गायन होता है, इसलिये इसे मसाण्या या कायाखो गीत कहते हैं। • इन गीतों को भी मृंदग, झाँझ और इकतारा बजा कर समूहों में गाया जाता है। • मसाण्या गीतों में आत्मा को दुल्हन और शरीर को दूल्हा के रूप माना गया है। • मसाण्या को पुरुष परक लोकगीत कहा जाता है।
संत सिंगाजी भजन	• 15वीं सदी के निर्गुणी संत-कवियों में सबसे अग्रणी संत सिंगाजी हैं। • इनके भजनों को समूचे निमाड़ एवं मालवा के कुछ हिस्सों में गाया जाता है। • अपनी आध्यात्मिक साधना और शुचिता के कारण संत सिंगाजी के पद समूचे निमाड़ और मालवा के हिस्से में इतने लोकप्रिय हुए कि सिंगाजी के पद-गायन की एक अलग शैली बन गई। संत सिंगाजी ने निमाड़ी में कई सौ आध्यात्मिक पदों की रचना की। • ये पद किसी भी सामाजिक अवसर पर खेती और गृहस्थी संबंधी लोक प्रतीकों के साथ आध्यात्मिक भजन के रूप में समूह में गाए जाते हैं।

15 मध्य प्रदेश : साहित्यकार एवं संगीतकार
(Madhya Pradesh : Writers and Musicians)

मध्य प्रदेश के साहित्यकार

मध्य प्रदेश में साहित्य सृजन की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है जो वर्तमान समय तक अनवरत चली आ रही है। प्राचीन काल में साहित्य सृजन की मुख्य भाषा संस्कृत थी तथा संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार कवि बाल्मीकि, महाकवि कालीदास, बाणभट्ट तथा भर्तृहरि मध्य प्रदेश के ही निवासी थे।

मध्यकालीन साहित्यकारों में भूषण, कवि पद्माकर भट्ट तथा आचार्य केशवदास जैसे साहित्यकारों ने इस प्रदेश के साथ देश का गौरव बढ़ाया।

साहित्यिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश में साहित्य एवं साहित्यकारों को तीन कालानुक्रम में विभाजित कर सकते हैं– प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक।

प्राचीनकालीन साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ

महाकवि कालिदास

उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास मध्य प्रदेश के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के संस्कृत साहित्य के सिरमौर नाटककार एवं कवि हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।

कालिदास ने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएँ की। कालिदास अपनी अलंकार युक्त सुंदर सरल और मधुर भाषा के लिये विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनके ऋतु वर्णन अद्वितीय हैं और उनकी उपमाएँ बेमिसाल हैं।

कालिदास के जन्म को लेकर विद्वानों में हमेशा मतभेद रहा। चूँकि, कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर 'मालविकाग्निमित्रम्' नाटक लिखा और अग्निमित्र ने द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासन किया था, अत: कालिदास की समय सीमा निर्धारित हो जाती है कि वह इससे पहले नहीं हो सकते। 7वीं सदी में बाणभट्ट ने अपनी रचना 'हर्षचरितम्' में कालिदास का उल्लेख किया है तथा इसी समय के पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में उनका जिक्र है, अत: कालिदास इसके बाद के नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार कालिदास के द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के मध्य होना तय है।

कालीदास के जन्म स्थान को लेकर भी विवाद है। मेघदूतम् में उज्जैन के प्रति उनके विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं। किंतु इनकी रचनाओं में हिमालय, गंगा व इनसे संबद्ध क्षेत्रों के अतिशय रमणीक वर्णन के आधार पर कुछ विद्वान इन्हें हिमालय के आसपास के निवासी मानते हैं।

रचनाएँ

संस्कृत में छोटी-बड़ी लगभग चालीस रचनाएँ हैं जिन्हें अलग-अलग विद्वानों ने कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनमें से मात्र सात ही ऐसी हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदासकृत मानी जाती हैं-

तीन नाटक: अभिज्ञान शाकुंतलम् और विक्रमोर्वशीयम् मालविकाग्निमित्रम्

दो महाकाव्य: रघुवंशम् और कुमारसंभवम्

दो खंडकाव्य: मेघदूतम् और ऋतुसंहार

नाटक

मालविकाग्निमित्रम्: यह कालिदास की पहली रचना है, जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र की कहानी है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को कारागार में डलवा देती है। मगर संयोग से मालविका राजकुमारी सिद्ध होती हैं और उसके प्रेम-संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है।

अभिज्ञान शाकुंतलम्: यह कालिदास की दूसरी रचना है जो उनकी जगतप्रसिद्धि का कारण बना। इस नाटक का अनुवाद अंग्रेज़ी और जर्मन के अलावा दुनिया की अनेक भाषाओं में हुआ है। इसमें राजा दुष्यंत की कहानी है जो वन में रहने वाली एक परित्यक्त ऋषि पुत्री शकुंतला (विश्वामित्र और मेनका की बेटी) से प्रेम करने लगता है।

विक्रमोर्वशीयम्: यह रहस्यों से परिपूर्ण नाटक है। इसमें राजा पुरूरवा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं। पुरूरवा के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने जाती है तो पुरूरवा से प्रेम के कारण वह वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। इससे इंद्र गुस्से में उसे शापित कर धरती पर भेज देते हैं। हालाँकि, उसका प्रेमी अगर उससे होने वाले पुत्र को देख ले तो वह फिर स्वर्ग लौट सकेगी। विक्रमोर्वशीयम् काव्यगत सौंदर्य और शिल्प से भरपूर है।

महाकाव्य

रघुवंशम् तथा **कुमारसंभवम्** उनके महाकाव्यों के नाम हैं। रघुवंशम् में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएँ हैं, तो कुमारसंभवम् में शिव-पार्वती की प्रेमकथा और कार्तिकेय के जन्म की कहानी है।

खंडकाव्य

मेघदूतम् एक गीतिकाव्य है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास भेजने का वर्णन है। मेघदूत के दो भाग हैं- पूर्वमेघ एवं उत्तरमेघ।

ऋतुसंहारम् में सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

16 मध्य प्रदेश : जनजातियाँ एवं जनजातीय संस्कृति
(Madhya Pradesh : Tribes and Tribal Culture)

मध्य प्रदेश की एक पहचान उसकी अनूठी जनजातीय संस्कृति है। जनजातीय लोगों को आदिवासी भी कहा जाता है। ये दोनों शब्द इन जातियों की प्राचीनता का बोध कराते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में अंकित होने के कारण ही आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजातियाँ कहा जाता है।

जनजाति समुदाय के लोग एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की भाषा या बोली बोलते हैं, आदिकालीन धर्म, रीति और परंपरा को मानते हैं तथा आदिकालीन सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में जीवनयापन करते हैं। इन समुदायों की विशिष्ट प्रस्थिति को ध्यान में रखते हुये संविधान के अनुच्छेद 342 में इन्हें 'अनुसूचित जनताति' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियाँ अनुसूचित जातियाँ कहलाती हैं।
- जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6% है।
- मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति इंदौर में तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति झाबुआ ज़िले में है।
- प्रतिशत के आधार पर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उज्जैन में तथा न्यूनतम झाबुआ में है।
- राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति चमार है। अन्य जातियों में खटीक, भंगी, बलाई, बसोड़, बेड़िया आदि हैं।
- बेड़िया, अनुसूचित जाति सागर ज़िले में रहती है जो कि वंशानुगत रूप से वेश्यावृत्ति के पेशे से जुड़ी है।
- अनुसूचित जनजाति (ST) के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 342 में प्रावधान किया गया है।
- जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आबादी, देश की कुल आबादी का 8.14% है तथा मध्य प्रदेश में इनकी आबादी, प्रदेश की कुल आबादी का 21.1% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों (ST) की जनसंख्या पूरे भारत में सर्वाधिक है।
- प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग जनसंख्या के आधार पर धार में तथा सबसे कम भिंड में हैं।
- प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अलीराजपुर (89%) तथा सबसे कम भिंड (0.4%) में है।
- मध्य प्रदेश में 3 सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं- भील, गोंड तथा कोल।
- केंद्र सरकार ने राज्य की मान्यता प्राप्त कुल 46 जनजातियों में से 3 जनजातियों- बैगा, सहरिया और भारिया को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है।
- विशेष पिछड़ी जनजाति को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, जिसका आधार है- कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकीय स्तर, साक्षरता का न्यूनतम स्तर, अत्यंत पिछड़े एवं दूरदराज़ क्षेत्रों में निवास करना तथा स्थिर या घटती जनसंख्या।
- मध्य प्रदेश में कुल जनजातियों में भीलों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। गोंडों की आबादी दूसरे स्थान पर है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग

अनुसूचित जाति एवं जनजातीय के हितों की अभिवृद्धि के लिये किये गए संवैधानिक प्रावधानों एवं अन्य विधिक उपबंधों के संरक्षण के लिये संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। संसद सदस्यों द्वारा की जा रही निरंतर मांग के परिप्रेक्ष्य में इसे 1978 में बहुसदस्यीय बना दिया गया। 1987 में इसका नाम अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से बदल कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दो भागों में बाँट दिया गया। यह अधिनियम 2004 से प्रभावी हुआ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। इस तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है। इस आयोग के अधिकारी का दायित्व अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना तथा इससे संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना है।

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा तीन सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री एवं केंद्रीय राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

जनजातियों के कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये सन् 1999 में जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई। इससे यह उम्मीद बनी कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि जनजातियों के हितों के प्रभावी संरक्षण के लिये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को विभाजित कर दिया जाए और दोनों समूहों के लिये अलग-अलग आयोग का गठन किया जाए। इसके लिये 2003

17 मध्य प्रदेश : शिक्षा एवं स्वास्थ्य
(Madhya Pradesh : Education & Health)

पिछले एक दशक में राज्य में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। व्यक्ति के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अत: मध्य प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। राज्य गठन (1956) के समय साक्षरता का प्रतिशत 10% था, लेकिन पिछले एक दशक में राज्य की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% है, जो राष्ट्रीय औसत से कुछ ही कम है। राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

बौद्ध विश्वविद्यालय

देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में खोला गया है। इस विश्वविद्यालय को खोलने को लेकर श्रीलंका महाबोधि सोसायटी और भारतीय बौद्ध सोसायटी के बीच समझौता संपन्न हुआ है। इस विश्वविद्यालय का पूरा नाम साँची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़ है।

शिक्षा (Education)

प्रारंभिक शिक्षा

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 योजना प्रदेश में 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावशाली है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में मार्च 2011 में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2011 जारी किये गए हैं। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियाँ राज्य शासन द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिये बनाया गया 'नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के प्रावधानों का क्रियान्वयन सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में शासकीय प्राथमिक शालाएँ 83890 एवं शासकीय माध्यमिक शालाएँ 30341 हैं।

- मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया।

माध्यमिक शिक्षा

विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिये माध्यमिक शिक्षा अत्यावश्यक है। माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रदेश में कुल 7882 हाईस्कूल एवं 9074 हायर सेकेंडरी स्कूल (कुल 16956 शालाएँ) संचालित हैं। हाईस्कूलों में 25.78 लाख तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में 13.60 लाख। (कुल 39.38 लाख) छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं।

उच्च शिक्षा

मध्य प्रदेश के विकास में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका है। उच्च शिक्षा विभाग ज्ञान और कौशल का ही विकास नहीं करता, बल्कि शिक्षित व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के अवसर को बढ़ाने का प्रयास भी करता है। उच्च शिक्षा विभाग को प्रासंगिक बनाए रखने के लिये उसमें समसामयिक चुनौतियों और परिवर्तनों में सामंजस्य स्थापित करने की पहल इस विभाग की कार्य योजना का महत्त्वपूर्ण पहलू है।

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक-2011 के तहत प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड अंचल में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना छतरपुर में किये जाने की अनुमति प्राप्त कर ली है।

वर्ष 2016 में उच्च शिक्षा द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल में 20 नवीन महाविद्यालय तथा पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालय में 20 नवीन संकाय/विषय भी प्रारंभ किये गए हैं। प्रदेश में पूर्व स्थापित कुल 437 शासकीय महाविद्यालयों के स्थान पर अब महाविद्यालयों की संख्या 457 हो गई है।

मध्य प्रदेश : शिक्षा से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल को यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है।
- मध्य प्रदेश की देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय (इंदौर) देश का प्रथम ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसने इस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन/अध्यापन व अनुसंधान संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।
- डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू (इंदौर) में स्थित है, जिसे अप्रैल 2015 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।
- मध्य प्रदेश के अमरकंटक (अनूपपुर) में आदिवासियों पर शोध के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है।
- मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित किया गया है।
- मध्य प्रदेश का पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित है।

18 मध्य प्रदेश : खेल परिदृश्य
(Madhya Pradesh : Sports Scenario)

खेलों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्त्व है। खेलने से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तो रहते ही हैं, साथ ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। जब हम खेलते हैं तो हमारा शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। इस तरह खेलकूद हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने का अच्छा विकल्प है। प्राचीन समय में चौपड़, शतरंज, कुश्ती, कबड्डी, खो-खो आदि खेलों का बहुत प्रचलन था। आज विभिन्न प्रकार के खेल न केवल मनोरंजन बल्कि रोज़गार का भी साधन बन गए हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर अनेक खेल-प्रतिभाएँ उल्लेखनीय हैं।

मध्य प्रदेश में खेलकूद गतिविधियों के विकास एवं प्रचार हेतु 1 अक्तूबर, 1975 को एक स्वतत्रं कार्यालय की स्थापना की गई। तत्पश्चात् 30 जून, 1981 को खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खेलकूद गतिविधियों को समय-समय पर संचालित करना एवं ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में क्रीड़ा एवं साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, प्रदेश में छुपी खेल-प्रतिभाओं की खोज, उनके लिये पौष्टिक आहार तथा खेलकूद सुविधाएँ व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का प्रयास करना विभाग के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। यह विभाग अपनी खेलकूद-संबंधी गतिविधियाँ मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद् की सलाह पर संचालित करता है।

राज्य क्रीड़ा परिषद् के मुख्य उद्देश्य

- युवकों में चरित्र निर्माण एवं अनुशासन की भावना उत्पन्न करना।
- राज्य में खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन के चहुँमुखी विकास हेतु योजनाएँ बनाना।
- खेलकूद संगठनों के बीच आपसी सामंजस्य बनाए रखना।

खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं उनके समुचित विकास के लिये मध्य प्रदेश शासन ने अपनी पहली खेल नीति 1989 में घोषित की थी तथा 5 वर्ष पश्चात् उसका मूल्यांकन करके वर्ष 1994 में पुनः नई खेली नीति बनाई।

इस खेल नीति में प्रदेश में खेलों के विकास के विभिन्न पहलू शामिल थे, परंतु उक्त नीति का कार्यान्वयन सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण पूरी तरह नहीं हुआ। अतः उपर्युक्त नीति में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक था कि इस नीति पर पुनः विचार कर एक ठोस रणनीति बनाई जाए, जो खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं की पहचान करने में अधिक सार्थक हो।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सबसे नवीन खेल नीति 2005 में घोषित की तथा इस नीति में राज्य क्रीड़ा परिषद् को समाप्त कर दिय गया और उसके स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण अस्तित्व में आया। इसका अध्यक्ष खेल मंत्री होता है तथा इसका मुख्यालय भोपाल में है।

- नवीन खेल नीति में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को ₹1 करोड़, रजत पदक विजेता को ₹30 लाख व कांस्य पदक विजेता को ₹20 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है।
- भारत की अति प्राचीन खेल विधा मलखंब को मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में राजकीय खेल घोषित किया है। मलखंब भारत का एक पारंपरिक खेल है, जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक खंबे या रस्सी के ऊपर तरह-तरह के करतब दिखाते हैं। उन्नसवीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव-II के गुरु श्री बालम भट्ट दादा देवधर ने इस विधा को नई पहचान दी। सन् 1958 में पहली बार नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के तहत मलखंब को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मलखंब के तीन प्रकार प्रचलित हैं-
  - हैंगिंग मलखंब (केवल पुरुषों के लिये)
  - फिक्स्ड मलखंब (केवल पुरुषों के लिये)
  - शेप मलखंब (प्रमुख रूप से महिलाओं के लिये)
- केंद्रीय खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में देश के प्रथम मलखंब अकादमी खोलने की घोषणा की है।
- राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है, जो सिर्फ राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को ही दिया जाता है।
- मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने विद्यालयों में एक पीरियड खेल के लिये अनिवार्य किया हैं।
- मध्य प्रदेश की राजधानी को खेल राजधानी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर सतगढ़ी में सर्व सुविधा युक्त खेलगाँव विकसित किया जा रहा है। यह प्रदेश का पहला खेल गाँव होगा।
- मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय की स्थापना अलीराजपुर ज़िले में की गई है, जबकि एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया।
- राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद् पटियाला के सहयोग से मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में उप-प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये गए हैं।

19 मध्य प्रदेश : राजव्यवस्था व प्रशासन
(Madhya Pradesh : Polity and Administration)

अपने नाम के अनुरूप ही मध्य प्रदेश देश के मध्य भाग में स्थित है। ब्रिटिश शासनकाल में इसे सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था तथा इसमें महाकौशल सेंट्रल प्रॉविंसेस, बरार, बघेलखंड तथा छत्तीसगढ़ की रियासतें शामिल थीं। मध्य प्रदेश का अस्तित्व 1947 से ही था। उस समय इस प्रदेश को पार्ट–A, पार्ट–B तथा पार्ट–C में विभाजित किया गयाथा।

पार्ट–A	राजधानी–नागपुर	सेंट्रल प्रॉविंसेस और बरार में बघेलखंड, छत्तीसगढ़ की रियासतें
पार्ट–B	राजधानी–ग्वालियर, इंदौर	पश्चिम की रियासतों को इसमें शामिल किया गया था।
पार्ट–C	राजधानी–रीवा	विंध्य प्रदेश

- 29 दिसंबर, 1953 को भारत सरकार ने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। इसके अन्य सदस्यों में डॉ. के.एम. पणिक्कर और पं. हृदयनाथ कुंजरू थे। आयोग ने भाषायी आधार पर राज्य पुनर्गठन की सिफारिश की।
- 1 नवंबर, 1956 को आयोग की अनुशंसा के आधार पर 43 ज़िलों को मिलाकर मध्य प्रदेश को पुनर्गठित किया गया। इस पुनर्गठन से मध्य प्रदेश की सीमाओं में व्यापक परिवर्तन हुए।
  - बुल्ढाणा (बुल्ढाना), अमरावती, वर्धा, भंडारा, नागपुर तथा चाँदा ज़िले तत्कालीन बंबई राज्य में चले गए।
  - मंदसौर की भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश का भाग बनी, पहले यह राजस्थान में सम्मिलित थी।
  - राजस्थान के कोटा ज़िले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में मिला दिया गया।
  - विंध्य प्रदेश नामक 'पार्ट सी' स्टेट को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया तथा संपूर्ण भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश का भाग बना दिया गया।
  - मध्य प्रदेश की नवीन राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो कि पूर्व में सीहोर ज़िले की एक तहसील थी। 1972 में भोपाल को ज़िले का दर्जा दिया गया।
- नवगठित तत्कालीन मध्य प्रदेश में 1951 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 2,60,95,680 तथा क्षेत्रफल 4,42,891 वर्ग किमी. था।
- 31 अक्तूबर, 1956 की मध्यरात्रि को भोपाल के मिंटो हॉल में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें डॉ. पट्टाभि सीतारमैया को मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में तत्कालीन न्यायाधीश श्री एम. हिदायतुल्ला द्वारा शपथ दिलाई गई, तत्पश्चात् राज्यपाल द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल को प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।
- राज्य सरकार द्वारा नए ज़िलों के गठन हेतु 1983 में ज़िला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में गठित सिंह देव समिति के अनुशंसा पर वर्ष 1998 में 10 नए ज़िलों का गठन किया गया।
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा छः नए ज़िलों के गठन की घोषणा की गई। इन ज़िलों में धमतरी, महासमुंद, उमरिया, कवर्धा, नीमच और हरदा थे। इन ज़िलों के गठन के पश्चात् मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या 61 हो गई।

25 मई, 1998 को नियमानुसार 10 नए ज़िले: श्योपुर, बड़वानी, डिंडोरी, कटनी, पश्चिमी सरगुजा, जशपुर, जाँजगीर चांपा, कोरबा, दंतेवाड़ा, काँकेर।

- मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 16 ज़िलों के साथ 31 अक्तूबर, 2000 को पृथक् कर दिया गया तथा 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ का नए राज्य के रूप में गठन हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या घटकर 45 रह गई थी।

छत्तीसगढ़ में शामिल 16 ज़िले: कोरिया, जशपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, राजगढ़, दुर्ग, कवर्धा, महासमुंद, रायपुर, राजनंदगाँव, कांकेर, धमतरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और जाँजगीर चांपा।

- तीन ज़िले बुरहानपुर (खंडवा से), अनूपपुर (शहडोल से) तथा अशोकनगर (गुना से) का वर्ष, 2003 में गठन किया गया, जिससे प्रदेश में ज़िलों की संख्या 48 हो गई। वर्ष 2008 में झाबुआ ज़िले को विभाजित कर अलीराजपुर तथा सीधी ज़िले को विभाजित कर सिंगरौली ज़िले को गठित किया गया।
- मध्य प्रदेश का नवनिर्मित ज़िला निवाड़ी है, जिसे 1 अक्तूबर, 2018 को टीकमगढ़ ज़िले से अलग करके बनाया गया है।
- वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग एवं 52 ज़िले हैं।

क्रमांक	संभाग	ज़िले
1.	जबलपुर (8)	जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट एवं सिवनी
2.	इंदौर (8)	धार, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा
3.	उज्जैन (7)	रतलाम, देवास, मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन, नीमच और आगर मालवा

20 मध्य प्रदेश : पंचायती राजव्यवस्था
(Madhya Pradesh : Panchayati Raj System)

लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में तभी सफल होता है जब राजनीतिक शक्ति आम आदमी के हाथों में पहुँच जाती है। इसका आदर्श रूप यह होना चाहिये कि आम आदमी के पास स्थानीय मुद्दों, जैसे- पानी, सड़क, सफाई आदि के प्रशासन में निर्णायक भूमिका हो तथा कानून बनाने तथा प्रशासन चलाने की प्रक्रिया में शामिल हों। आजकल इस आदर्श को 'सहभागितामूलक लोकतंत्र' (Participatory Democracy) कहा जाता है।

आजकल दुनिया भर में सहभागितामूलक लोकतंत्र की बयार चल रही है और वह हर देश के सत्ताधारियों को बाध्य कर रही है कि वे शक्ति का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण करें। भारत में भी 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' और 'स्थानीय स्वशासन' (Local Self Government) की धारणाएँ नई नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यही धारणा 'पंचायती राज' कहलाती है जबकि शहरी क्षेत्रों में 'नगरपालिका' या 'नगर निगम'।

भारत में संविधान लागू होने के समय 1950 से 1993 तक देश में संघात्मक राजव्यवस्था थी अर्थात् सत्ता के दो स्तर थे- संघ तथा राज्य। संघात्मक व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का ढाँचा तय करने की शक्ति सामान्यत: राज्यों के हाथों में होती है। किंतु इसमें निहित कमज़ोरियों को देखते हुए तथा जनता की सीधी भागीदारी का महत्त्व समझते हुए हमारी संसद ने (अधिकांश राज्यों के विधानमंडलों के सहयोग से) 1992-93 के दौरान दो महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन किये जिन्हें '73वाँ' तथा '74वाँ संशोधन' कहा जाता है। इन संशोधनों ने हमारे संविधान में सत्ता का एक तीसरा स्तर भी निर्धारित कर दिया जिसे गाँवों के लिये 'पंचायत' और शहरों के लिये 'नगरपालिका' कहा गया। इन संशोधनों ने हमारी राजव्यवस्था को संघात्मक ढाँचे से एक कदम और आगे बढ़ा दिया क्योंकि अब हमारे संविधान में सत्ता के तीन स्तर निर्धारित हैं- संघ, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन। सत्ता के विकेंद्रीकरण को लक्षित इन प्रयासों की कुछ सीमाएँ तो हैं, किंतु लोकतंत्र की जड़ों तक पहुँचने की दृष्टि से इन्हें 'मौन क्रांति' की संज्ञा देना गलत न होगा।

मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन
(Local Self Government in Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश में पंचायत अधिनियम सर्वप्रथम 1962 में लागू किया गया तथा ज़िला पंचायत चुनाव पहली बार 1971 में हुआ।

73वें संविधान संशोधन 1992 के पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 29 दिसंबर, 1993 को विधानसभा में पारित किया गया एवं 24 जनवरी, 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के साथ ही इसे 25 जनवरी, 1994 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया।

इस अधिनियम के अनुसार राज्य में पंचायती राजव्यवस्था के तीन स्तर हैं, जो इस प्रकार हैं-

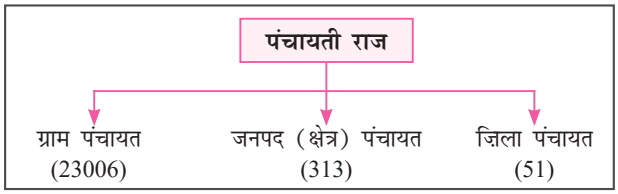

स्थानीय स्वशासन	
ग्राम पंचायत	• एक हज़ार आबादी वाले गाँव में एक ग्राम पंचायत गठित की जाएगी, जिसमें एक हज़ार की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत में कम-से-कम 10 वार्ड बनाए जाएंगे तथा एक हज़ार से ज़्यादा जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत में अधिक-से-अधिक 20 वार्ड बनाए जाएंगे। • राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 23006 है। इसका मुखिया, सरपंच व पंच सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। जबकि उप-सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा निर्वाचित होते हैं। • प्रत्येक वार्डों की जनसंख्या लगभग एक सी होगी। • ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। • ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। • ग्राम पंचायतें अपने गाँव की पेयजल व्यवस्था, सफाई, आँगनबाड़ियों का संचालन, प्रकाश व्यवस्था, ग्रामीण विकास की निगरानी आदि करती हैं। • पंचायत सचिव, पंचायत द्वारा नियुक्त शासकीय कर्मचारी होते हैं। • मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जहाँ स्थानीय निकायों में 'राइट टू रिकॉल' का प्रावधान शामिल किया गया है।
क्षेत्र या जनपद पंचायत	• जिस क्षेत्र में 5 हज़ार से अधिक, परंतु 50 हज़ार से कम आबादी होती है। उस क्षेत्र में एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। मध्य प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों की संख्या 313 है। • इसमें आबादी के अनुसार कम से कम 10 और अधिक से अधिक 25 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या सामान्यत: एक समान होगी।

21 मध्य प्रदेश : जनगणना–2011
(Madhya Pradesh : Census-2011)

जनगणना संघ सूची का विषय है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 246 में की गई है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना की महत्ता को देखते हुए संघ सरकार ने 1961 में 'जनगणना विभाग' की, स्थापना की जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

- भारत में सबसे पहले जनगणना ब्रिटिश भारत में 1872 में लार्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी तथा 1881 से लार्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई।
- 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 6 प्रतिशत है। तथा जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश, देश का पाँचवा बड़ा राज्य है।

जनगणना आयुक्त कार्यालय (जनगणना महानिदेशक श्री सी. चंद्रमौली) द्वारा जनगणना 2011 के अंतिम आँकड़े जारी किये गए। यह मध्य प्रदेश की छठी एवं देश की पंद्रहवीं जनगणना थी। ध्यातव्य है कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात् राज्य की पहली जनगणना 1961 में हुई थी।

- प्रदेश की कुल जनसंख्या– 7,26,26,809
  - पुरुष जनसंख्या– 3,76,12,306
  - महिला जनसंख्या– 3,50,14,503
- राज्य की जनसंख्या प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का 5.99% है।
- जनगणना 2011 में राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 5,25,57,404 (72.4%) व नगरीय जनसंख्या 2,00,69,405 (27.6%)
- राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला– इंदौर (4.5%)
- राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला– हरदा (0.8%)

प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले (घटते क्रम में)		
1.	इंदौर	32,76,697
2.	जबलपुर	24,63,289
3.	सागर	23,78,458
4.	भोपाल	23,71,061
5.	रीवा	23,65,106

प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	हरदा	5,70,465
2.	उमरिया	6,44,758
3.	श्योपुर	6,87,861
4.	डिंडोरी	7,04,524
5.	अलीराजपुर	7,28,999

प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या– 5,25,57,404

पुरुष– 2,71,49,388 महिला– 2,54,08,016

ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72.4% है।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या– 2,00,69,405

पुरुष– 1,04,62,918 महिला– 96,06,487

शहरी जनसंख्या का प्रतिशत प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27.6% है।

प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	रीवा	19,69,321
2.	धार	1,77,2572
3.	सतना	17,54,517
4.	सागर	16,69,662
5.	छिंदवाड़ा	15,85,739

प्रदेश के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	इंदौर	24,27,709
2.	भोपाल	19,17,051
3.	जबलपुर	14,40,034
4.	ग्वालियर	12,73,792
5.	उज्जैन	7,79,213

प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले ज़िले		
1.	डिंडोरी	95.4%
2.	अलीराजपुर	92.2%
3.	सीधी	91.7%
4.	झाबुआ	91%
5.	सिवनी	88.1%

प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले		
1.	भोपाल	80.9%
2.	इंदौर	74.1%
3.	ग्वालियर	62.7%
4.	जबलपुर	58.5%
5.	उज्जैन	39.2%

क्षेत्रफल में 7 बड़े ज़िले (वर्ग किमी. में)	
छिंदवाड़ा	11815
सागर	10252
शिवपुरी	10066
बैतूल	10043
बालाघाट	9229
सिवनी	8758
छतरपुर	8687

क्षेत्रफल में 7 छोटे ज़िले (वर्ग किमी. में)	
दतिया	2691
भोपाल	2772
आगर–मालवा	2785
अलीराजपुर	3182
हरदा	3334
बुरहानपुर	3427
झाबुआ	3500

दशकीय वृद्धि (Decadal Growth)

- 2001–2011 के दौरान मध्य प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर 17.7% की तुलना में 20.3% है।
- 1991–2001 के दौरान प्रदेश में यह दर 24.3% थी।
- पुरुष दशकीय वृद्धि दर– 19.6%
- महिला दशकीय वृद्धि दर– 21.0%
- सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला– इंदौर (32.9%)
- सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला– अनूपपुर (12.3%)

22 मध्य प्रदेश : पंचवर्षीय योजनाएँ
(Madhya Pradesh : Five Year Plans)

मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का विधिवत प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। ऐसा इसलिये क्योंकि इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर, 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर मध्य भारत, महाकौशल, भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश क्षेत्रों को मिलाकर की गई। अत: प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के समय तक मध्य प्रदेश राज्य का जन्म नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश का जन्म दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) के दौरान हुआ, लेकिन तब तक राज्य के तत्कालीन क्षेत्र मध्य भारत, महाकौशल, भोपाल तथा विंध्य प्रदेश ने अपनी-अपनी योजनाएँ, योजना आयोग को दे चुके थे और राज्य की स्थापना के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना से इन योजनाओं को एकीकृत किया गया। अत: तीसरी पंचवर्षीय योजना से मध्य प्रदेश में नियोजन का प्रारंभ माना जाता है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत शासन के योजना आयोग की अनुशंसा पर 24 अक्तूबर, 1972 को एक अधिसूचना जारी करके मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया। राज्य का मुख्यमंत्री इस मंडल का अध्यक्ष होता है एवं योजना मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त इस मंडल में 11 अंशकालिक सदस्य पदस्थ होते हैं। सितंबर 2007 से मध्य प्रदेश योजना मंडल को मध्य प्रदेश योजना आयोग कहा जाने लगा है। इस आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं-

- राज्य योजना की प्राथमिकताएँ निश्चित करना।
- राज्य के संसाधनों का आकलन करना और उसके लिये महत्त्वपूर्ण योजना बनाना।
- जिला स्तर के लिये उपयोगी योजनाओं के निर्माण में सहयोग देना।
- राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की समीक्षा करना और उनकी कमियों को दूर करने के लिये प्रभावी योजना बनाना।

पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Year Plans)

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के कृषि अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाना था।
- मध्य प्रदेश अभी अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं था, इस समय वह चार क्षेत्रों-मध्य भारत, महाकौशल, भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश में बँटा हुआ था। अत: इस पंचवर्षीय योजना में इन चारों क्षेत्रों की विकास प्राथमिकता के आधार पर अलग-अलग योजनाएँ बनाई गईं।
- कुल योजना परिव्यय का 30.97% भाग कृषि एवं सामुदायिक विकास के लिये निर्धारित किया गया था। इसके बाद सिंचाई एवं विद्युत के लिये 22.57% राशि निर्धारित की गई।
- इस योजना के अंतर्गत 7 मार्च, 1954 को गांधी सागर बांध का शिलान्यास प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)

- इस योजना अवधि में ही मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि के साथ-साथ उद्योगों का विकास करना था।
- इस योजना अवधि के अंतर्गत ₹190.90 करोड़ व्यय का लक्ष्य रखा गया था, परंतु 5 वर्ष की पूरी अवधि में सिर्फ ₹148.92 करोड़ ही व्यय किया गया, जो लगभग कुल व्यय का 78% था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)

- मध्य प्रदेश राज्य का गठन होने के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना राज्य की प्रथम योजना थी।
- इस योजना का निर्धारण राज्य के साधनों तथा आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर किया गया था।
- इस योजना में मुख्यत: सिंचाई साधनों को अत्यधिक महत्त्व दिया गया इसके पश्चात् कृषि एवं शिक्षा पर बल दिया गया।
- इस योजना अवधि के अंतर्गत ₹300 करोड़ के व्यय का लक्ष्य रखा गया था।

नोट: तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों में प्राकृतिक संकट तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण अगली पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 1966–67, 1967–68, 1968–69 में तीन वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)

- इस योजना के मुख्य उद्देश्य विदेशी सहयोग के अभाव में राज्य के विकास कार्यक्रमों को स्थायी गति प्रदान करना था।
- इस योजना के अंतर्गत व्यय लक्ष्य ₹455.0 करोड़ रखा गया था परंतु वास्तविक व्यय 475.50 करोड़ हुआ।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79)

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की निर्धनता को दूर करना तथा आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना था।
- मध्य प्रदेश द्वारा इस योजना के अंतर्गत कृषि विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया।
- 1979-80 में वार्षिक योजना बनाई गई।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)

- इस योजना में सर्वप्रथम सिंचाई एवं विद्युत पर सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित किया गया, इसके पश्चात् कृषि एवं सामुदायिक विकास क्षेत्र को प्रमुखता दी गई।
- इस योजना अवधि में कुल व्यय का वास्तविक लक्ष्य 3800 करोड़ रखा गया था।

23 मध्य प्रदेश : पुरस्कार एवं सम्मान
(Madhya Pradesh : Awards and Honours)

मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने कला के विकास, साहित्य के क्षेत्र में दीर्घ साधना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्टता तथा श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वाली विभूतियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने व इनमें राष्ट्रीय मापदंड विकसित करने के लिये राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय सम्मानों की घोषणा की है, जो प्रत्येक वर्ष प्रदान किये जाते हैं।

राष्ट्रीय सम्मान (National Honours)

अखिल भारतीय पुरस्कार/सम्मान	
राष्ट्रीय कबीर सम्मान	• भारतीय काव्य के क्षेत्र में काव्य प्रतिभा का सम्मान करने के लिये वर्ष 1986–87 में यह सम्मान शुरू किया गया। • मध्य प्रदेश शासन ने उत्कृष्टता और सृजनात्मकता को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिये भारतीय कविता के क्षेत्र में राष्ट्रीय कबीर सम्मान का शुभारंभ किया। महान संत व कवि कबीर ने सदियों पहले कविता को नया रूप और नई निर्भीकता दी थी। • इस सम्मान के तहत ₹3 लाख की राशि और सम्मान पट्टिका भेंट की जाती है। • अब तक कन्नड़, बांग्ला, पंजाबी, हिंदी, मराठी और गुजराती भाषा के कवियों को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रथम सम्मान कवि गोपाल कृष्ण अडिग को (1986–87) दिया गया। • वर्ष 2016-17 में यह पुरस्कार श्री.के.शिव रेड्डी (हैदराबाद) को दिया गया है।
राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान	• हिंदी साहित्य की रचनात्मक संरचना के क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिये वर्ष 1987–88 से इस सम्मान को देने की परिपाटी शुरू की गई। • यह सम्मान राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त की स्मृति में रखा गया है। • इस सम्मान से सर्वप्रथम शमशेर बहादुर सिंह को (1987-88) नवाज़ा गया। • वर्ष 2016-17 में यह सम्मान श्री कमल किशोर गोयनका को दिया गया। • इस सम्मान के अंतर्गत ₹2 लाख की राशि तथा प्रशस्ति पट्टिका भेंट की जाती है।
राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान	• राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान का उद्देश्य साहित्य की ऐसी विधाओं की श्रेष्ठतम प्रतिभाओं को सम्मानित करना है जो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना आदि केंद्रीय विधाओं में रचना न करते हुए भी अन्य सर्जनात्मक विधाओं के माध्यम से साहित्य की समृद्धि और बहुलता में अपना योगदान देती हैं। • निबंध, संस्मरण, कोष, डायरी, पत्र और व्यंग लेखन के लिये यह सम्मान दिया जाता है। • श्री हरिशंकर परसाई (1992–93) यह सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। • यह सम्मान वर्ष 2016-17 में श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को प्रदान किया गया। • इस सम्मान के अंतर्गत ₹2 लाख तथा प्रशस्ति पट्टिका भेंट की जाती है।
कालिदास सम्मान	• यह पुरस्कार वर्ष 1980–81 में शुरू किया गया। यह सम्मान शास्त्रीय संगीत, नृत्य-नाटक रंगकर्म और रूपंकर कला के क्षेत्र के लिये प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में यह सम्मान बारी-बारी से दिये जाते थे। 1986-87 से उक्त चारों कला क्षेत्रों में अलग-अलग सम्मान दिये जाने लगे हैं। • 1980–81 शास्त्रीय संगीत में पहली बार यह सम्मान पंडित सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर को दिया गया है। • राष्ट्रीय कालिदास सम्मान (रंगकर्म) से विभूषित प्रथम व्यक्ति श्री शंभू मित्र थे। वर्ष 2017-18 में श्री रामगोपाल बजाज, लोनावला, पुणे को यह सम्मान प्रदान किया गया है। • इस सम्मान के तहत ₹2 लाख और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है।
तुलसी सम्मान	• मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी, लोक कला और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने की दृष्टि से यह पुरस्कार स्थापित किया है। इस सम्मान की स्थापना 1983–84 में की गई। • इस सम्मान से प्रथम बार हीरजी केशव एवं पं. गिरजा प्रसाद को नवाज़ा गया।

24 मध्य प्रदेश : प्रसिद्ध व्यक्तित्व
(Madhya Pradesh : Famous Personalities)

मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनीतिज्ञ

मौलाना बरकतुल्ला: इनका जन्म 1854 में भोपाल में हुआ था। ये अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आज़ादी के लिये अपना पक्ष रखा। नवंबर, 1913 में इन्होंने 'गदर' नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जिसके संपादक डॉ. बरकतुल्ला और रामचंदर थे। 20 सितंबर, 1927 को इनका निधन हो गया।

कैलाश नाथ काटजू: इनका जन्म 17 जून, 1887 को मध्य प्रदेश की जावरा रियासत (इंदौर के निकट) में हुआ था। 1957 से 1962 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। श्री काटजू ने 'इलाहाबाद लॉ जर्नल' का संपादन भी किया था। ये उड़ीसा (ओडिशा) और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे।

द्वारिका प्रसाद मिश्र: मिश्र जी का जन्म 5 अगस्त, 1901 को हुआ था। 1920 ई. में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। 1963 से 1967 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 1922 में इन्होंने 'श्री शारदा' का संपादन किया। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं- कृष्णायन व अनुदिता।

रविशंकर शुक्ल: इनका जन्म 2 अगस्त, 1877 को सागर ज़िले में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के प्रसिद्ध नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। ये 1 नवंबर, 1956 में अस्तित्व में आए नए राज्य मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 31 दिसंबर, 1956 को इनकी मृत्यु हो गई।

गोविंद नारायण सिंह: गोविंद नारायण सिंह का जन्म 25 जुलाई, 1920 को सतना ज़िले के रामपुर बघेलान नामक स्थान पर हुआ था। 1948 में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दे दिया तथा राजनीति में शामिल हो गए। वर्ष 1967 में ये प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इन्होंने बिहार के राज्यपाल पद को भी सुशोभित किया। सन् 2005 में इनकी मृत्यु हो गई।

सुंदरलाल पटवा: इनका जन्म 11 नवंबर, 1924 को मंदसौर ज़िले के कुकड़ेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। वर्ष 1942 से इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। ये 1990 से 1992 तक मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं।

मोतीलाल वोरा: इनका जन्म 20 सितंबर, 1928 को हुआ था। 1985 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इन्होंने भारत सरकार में विभिन्न मंत्री पदों को सुशोभित किया है तथा 1993-1996 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे।

कैलाश चंद्र जोशी: श्री जोशी का जन्म 14 जुलाई, 1929 को देवास ज़िले के हाटपीपल्या नामक स्थान पर हुआ था। वे 23 जून, 1977 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

अर्जुन सिंह: इनका जन्म 5 नवंबर, 1930 को चुरहट ज़िला सीधी में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। 1963 में वे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, 1972–77 तक राज्य में शिक्षा मंत्री तथा 1980 में मध्य प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री बने थे। भोपाल गैस कांड (3 दिसंबर, 1984) इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ये 2004 से 2009 के दौरान मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। 4 मार्च, 2011 को इनकी मृत्यु हो गई।

माधव राव सिंधिया: श्री सिंधिया का जन्म ग्वालियर के महाराजा के यहाँ 10 मार्च, 1945 को हुआ। इनकी माता का नाम विजया राजे तथा पिता का नाम जीवाजी राव सिंधिया था। माधवराव सिंधिया 1971 से 1984 तक गुना से, 1984 से 1999 तक ग्वालियर से तथा 1999 से 2001 तक पुन: गुना से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके अतिरिक्त इन्होंने अलग-अलग समयावधियों में संघीय सरकार में कई मंत्रालयों का नेतृत्व भी किया जिनमें 1986–1989 के बीच रेल मंत्री के रूप में उनके कार्य उल्लेखनीय रहे। 30 सितंबर, 2001 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई।

उमा भारती: इनका जन्म 3 मई, 1959 को टीकमगढ़ ज़िले के डूंडा में हुआ था। वह 8 दिसंबर, 2003 को मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थीं। वर्ष 2014 में झाँसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा की सांसद चुनी गई हैं तथा वर्तमान भारत सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं। उनके द्वारा लिखित पुस्तके हैं- मानव एक भक्ति का नाता (1983) तथा स्वामी विवेकानंद (1972), पीस ऑफ माइंड (1978)।

डॉ. शंकर दयाल शर्मा: डॉ. शर्मा का जन्म 19 अगस्त, 1918 को भोपाल में हुआ था। 1952 से 1956 तक ये भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद डॉ. शर्मा राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री बने। ये 25 जुलाई, 1992 से 25 जुलाई, 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। देश के नौवें राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये भारत के आठवें उपराष्ट्रपति भी थे। डॉ. शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है 'कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स'। डॉ. शर्मा का निधन 26 दिसंबर, 1999 को हो गया।

25 मध्य प्रदेश : संचालित योजनाएँ
(Madhya Pradesh : Directed Schemes)

महिला सशक्तीकरण संबंधित योजनाएँ

मध्य प्रदेश शासन ने महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है जो राज्य के नागरिकों के कल्याण की दिशा में सकारात्मक परिणाम दे रही हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

लाडली लक्ष्मी योजना: प्रदेश में 1 अप्रैल, 2007 से बालिकाओं के सर्वांगीण विकास एवं हितों के संरक्षण हेतु महत्त्वाकांक्षी 'लाडली लक्ष्मी योजना' शुरू की गई है। दिनांक 1 जनवरी, 2006 के बाद जन्मी बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बालिका के नाम पंजीकरण के समय से लगातार पाँच वर्षों तक ₹6 हज़ार के राष्ट्रीय बचत पत्र अर्थात कुल ₹30 हज़ार के राष्ट्रीय बचत पत्र बालिका के नाम पर खरीदे जाएंगे। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ₹2000, कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर ₹4000 और कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर ₹6000 तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹6000 ई-पेमेंट से भुगतान किये जाएंगे। बालिका की आयु 21 वर्ष की होने पर शेष राशि का भुगतान एकमुश्त तभी किया जाएगा जब बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के बाद हुआ हो। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना का लाभ ऐसे माता-पिता को ही दिया जाता है, जिन्होंने अधिकतम दो लड़कियों के जन्म के पश्चात् परिवार नियोजन अपना लिया हो।

गाँव की बेटी योजना: यह योजना वर्ष, 2005 में शुरू की गई। राज्य सरकार ने इस योजना के द्वारा ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालय से 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में बारहवीं पास छात्रा को ₹500 प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति शिक्षा के लिये दी जाएगी।

तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम: महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मज़बूत एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आई.एफ.ए.डी. (अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, परियोजना) रोम की मदद से प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है।

मध्य प्रदेश राज्य महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा आर्थिक स्वावलंबन से महिला सशक्तीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रदेश में 'तेजस्विनी' ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2007 से प्रदेश के छ: ज़िलों डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था। यह कार्यक्रम वर्ष 2018-19 तक जारी रहेगा। तेजस्विनी योजना के पाँच प्रमुख घटक हैं- सामुदायिक संस्था विकास, सूक्ष्म वित्त सेवाएँ, आजीविका व उद्यमिता और विकास, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय एवं समानता और प्रोग्राम प्रबंधन।

कार्यक्रम के तहत इन छ: ज़िलों में प्रत्येक ग्राम में चार से पाँच स्व-सहायता समूहों को मिलाकर एक ग्राम स्तरीय समिति भी गठित की गई है। सभी छ: ज़िलों में वर्ष 2016-17 तक 2,682 गाँवों में कुल 2,629 ग्राम स्तरीय समितियाँ कार्यरत हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मज़बूत और निरंतर महिला स्व-सहायता समूहों तथा उनकी शीर्ष संस्थाओं का गठन व विकास करना, इन समूहों और संस्थाओं को सूक्ष्म वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना और समूहों को बेहतर आजीविका के अवसर तलाशने तथा इनका उपयोग करने के योग्य बनाना है। कार्यक्रम का एक और उद्देश्य समूहों को सामाजिक समानता, न्याय और विकास की गतिविधियों के लिये सशक्त करना भी है। जैसे- शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंधन करना, कड़ी मज़दूरी में कमी लाना, पंचायत में पूर्ण भागीदारी देना और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध को समाप्त करना।

मुख्यमंत्री निकाह योजना: मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत निराश्रित या गरीब परिवारों की मुस्लिम कन्याओं/विधवाओं/परित्यक्ताओं के सामूहिक निकाह कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत वर-वधू को ₹25000 की धनराशि दी जाती है। इसमें कन्या के लिये 18 वर्ष तथा पुरुष के लिये 21 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण करने की अनिवार्यता है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं रखा गया है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: यह योजना अप्रैल 2006 से शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गरीब, ज़रूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के लिये ₹25000 की सहायता की जाती है।

मुख्यमंत्री कौशल्या योजना: महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये यह योजना चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 15 दिवस से लेकर 9 माह तक की होगी।

इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने नियमित औपचारिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया है अथवा जो अपने कौशल को विकसित कर स्वरोज़गार करने की इच्छुक हैं। इस योजना में बाल-विवाह तथा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना की मॉनीटरिंग मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोज़गार सृजन बोर्ड करेगा।

26

मध्य प्रदेश : विविध
(Madhya Pradesh : Miscellaneous)

मध्य प्रदेश के उपनाम

सोया प्रदेश – देश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन के कारण।
लघु भारत – विभिन्न संस्कृतियों के सम्मिश्रण के कारण।
हृदय प्रदेश – भारत के मध्य भाग में अवस्थित होने के कारण।

मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के पूरे नाम

एम.पी.एफ.सी. – मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन
पी.आई.सी.एल. – प्रॉविडेंट इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (भविष्य निधि निवेश कंपनी, भोपाल)
एम.पी.एस.आई.डी.सी. – मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड)
सी.ई.डी. – सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (उद्यमिता विकास केंद्र)
एस.एम.सी.एल. – स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (राज्य खनन निगम लिमिटेड)

मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 12 सितंबर, 2008 को किया गया, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु वालों को बच्चों की परिभाषा में रखा गया है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य (जिनमें से 2 महिलाएँ होंगी) होते हैं। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है।

मर्यादा अभियान (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश)

ग्रामों में स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण के साथ निवासियों की मर्यादा, स्वास्थ्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी सभ्य समाज में खुले में शौच की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में महिलाओं के सम्मान के लिये खुले में शौच से मुक्ति हेतु 'मर्यादा अभियान' चलाया जा रहा है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के रहन-सहन को गुणवत्तापरक बनाए जाने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

उद्देश्य

- ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देना।
- सभी घरों में व्यक्तिगत शौचालयों में सुचारु रूप से पानी की आपूर्ति कराना।
- सभी के लिये स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- 'मर्यादा अभियान' में जन भागीदारी बढ़ाना एवं स्वच्छता सुविधाओं की योजना बनाना।
- पाठशालाओं में स्वच्छता सुविधा प्रदान कर लड़कियों के पाठशाला छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना।
- अस्वच्छ आदतों एवं अस्वस्थ वातावरण के कारण होने वाली बीमारियों को कम करना।

विदिशा व्यापार मेला

मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे बसा प्राचीन नगर विदिशा व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है।
यहाँ प्रतिवर्ष 14 जनवरी से 4 फरवरी तक एक मेला लगता है।
मेले का शुभारंभ 1901 ई. में स्वर्गीय पं. विश्वनाथ ने किया था।
यह मेला चलित रामलीला के रूप में आरंभ होता है।
इस अवसर पर शासन के विभिन्न विभाग प्रदर्शनी और स्टॉल लगाकर अपने कार्यक्रम, नीतियों तथा उपलब्धियों को आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक विशाल पशु मेला भी लगता है।

- इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी ग्रामों को सम्मिलित करने का कार्यक्रम है, परंतु यह कार्य तीन चरणों में संपन्न होगा-
  - प्रथम चरण में नल जल योजना वाले 5800 ग्रामों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त बुरहानपुर ज़िला, जनपद पंचायत बुधनी (ज़िला सीहोर), जनपद पंचायत बुदनापुर (ज़िला धार) के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा।
  - द्वितीय चरण में इस योजना का संचालन उन ग्रामों में जिनमें नल जल योजना बंद है, उनमें आवश्यक सुधार कर योजना को पुनः प्रारंभ किया जाएगा।
  - तृतीय चरण में मध्य प्रदेश के शेष सभी ग्रामों को शामिल किया जाएगा।
- समुदाय में स्वच्छता व्यवहारों में बदलाव होना 'मर्यादा अभियान' की सफलता के लिये आवश्यक है।
- मर्यादा अभियान, एक निर्माण कार्यक्रम की बजाय व्यवहार बदलाव एवं सामुदायिक भागीदारी का कार्यक्रम है, इसलिये व्यापक एवं प्रभावी सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों को आयोजित किया जाना बहुत आवश्यक है।

विविध तथ्य

- भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है।

27 राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण अधिनियम
(Important Acts for State Civil Services Exam)

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 22)
Protection of Civil Rights Act, 1955 (Act No. 22 of 1955)

परिचय (Introduction)

संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी मामले में संलिप्त पाए जाने पर सज़ा का प्रावधान है। चूँकि इस विषय पर कोई कानून नहीं था, अत: अनुच्छेद 35 के उपबंध (क) (ii) को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कानून की आवश्यकता पड़ी। इसी क्रम में अस्पृश्यता (अपराध) प्रस्ताव संसद में पेश किया गया।

भारतीय गणराज्य के छठे वर्ष में संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात् इस अधिनियम को 8 मई, 1955 को राष्ट्रपति की अनुमति (अधिनियमित) मिली। इसके बाद 1 जून, 1955 को अस्पृश्यता (अपराध) कानून, 1955 लागू हुआ।

अस्पृश्यता (अपराध) कानून, 1955 के लागू होने के प्रभावस्वरूप समाज में जब बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई दिये तो उसके बाद अप्रैल 1965 में इलायापेरूमल समिति (Elayaperumal Committee) का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया और इस अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कर दिया गया। यह संशोधित अधिनियम 19 नवंबर, 1976 से प्रभावी हुआ था।

यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है और इसमें अस्पृश्यता की प्रथा के संबंध में दंड के प्रावधान हैं। इसे संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

(1) यह अधिनियम (सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम), 1955 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'सिविल अधिकार' से कोई ऐसा अधिकार अभिप्रेत है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा 'अस्पृश्यता' का अंत कर दिये जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत (Accruing) होता है;

(कक) 'होटल' के अंतर्गत जलपान-गृह, भोजनालय, बासा (बोर्डिंग हाउस), कॉफी हाउस और कैफे भी है;

(ख) 'स्थान' के अंतर्गत गृह, भवन और अन्य संरचना तथा परिसर है और उसके अंतर्गत तंबू, यान और जलयान भी है;

(ग) 'लोक मनोरंजन-स्थान' के अंतर्गत कोई भी ऐसा स्थान है जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है और जिसमें मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है या मनोरंजन किया जाता है।

स्पष्टीकरण: 'मनोरंजन' के अंतर्गत कोई प्रदर्शनी, तमाशा, खेलकूद, क्रीड़ा और किसी अन्य प्रकार का आमोद भी है;

(घ) 'लोक पूजा-स्थान' से, चाहे जिस नाम से ज्ञात, ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो धार्मिक-पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है या जो वहाँ कोई धार्मिक सेवा या प्रार्थना करने के लिये, किसी धर्म को मानने वाले या किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों को साधारणत: समर्पित किया गया है या उनके द्वारा साधारणत: उपयोग में लाया जाता है, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं-

(i) ऐसे किसी स्थान के साथ अनुलग्न या संलग्न सभी भूमि और गौण पवित्र-स्थान;

(ii) निजी स्वामित्व का कोई पूजा-स्थान जिसका स्वामी वस्तुत: उसे लोक पूजा-स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है; और

(iii) ऐसे निजी स्वामित्व वाले पूजा-स्थान से अनुलग्न ऐसी भूमि या गौण पवित्र-स्थान, जिसका स्वामी उसे लोक धार्मिक पूजा-स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है;

(घक) 'विहित' से इस अधनियिम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(घख) 'अनुसूचित जाति' का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) में उसे दिया गया है;

(ङ) 'दुकान' से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जहाँ वस्तुओं का या तो थोक या फुटकर या थोक और फुटकर दोनों प्रकार का विक्रय किया जाता है। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्-

(i) कोई ऐसा स्थान जहाँ फेरीवाले या विक्रेता द्वारा या चलते-फिरते यान या गाड़ी से माल का विक्रय किया जाता है;

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
(Distance Learning Programme)

दृष्टि The Vision

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(32 + 10 Booklets) (₹15,500/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(32 Booklets) (₹14,000/-)

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(34 बुकलेट्स) ₹10,500/-

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(25 बुकलेट्स) ₹10,000/-

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 Booklets) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 Booklets) (₹10,000/-)

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 Booklets) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 Booklets) (₹10,000/-)

For UPPCS Mains (in English Medium)

Self Learning Module

19 GS + 1 Essay + 1 Compulsory Hindi Booklets
₹7000/-

Offer

Free 6 months subscription of Drishti Current Affairs Today magazine for comprehensive coverage of current affairs

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

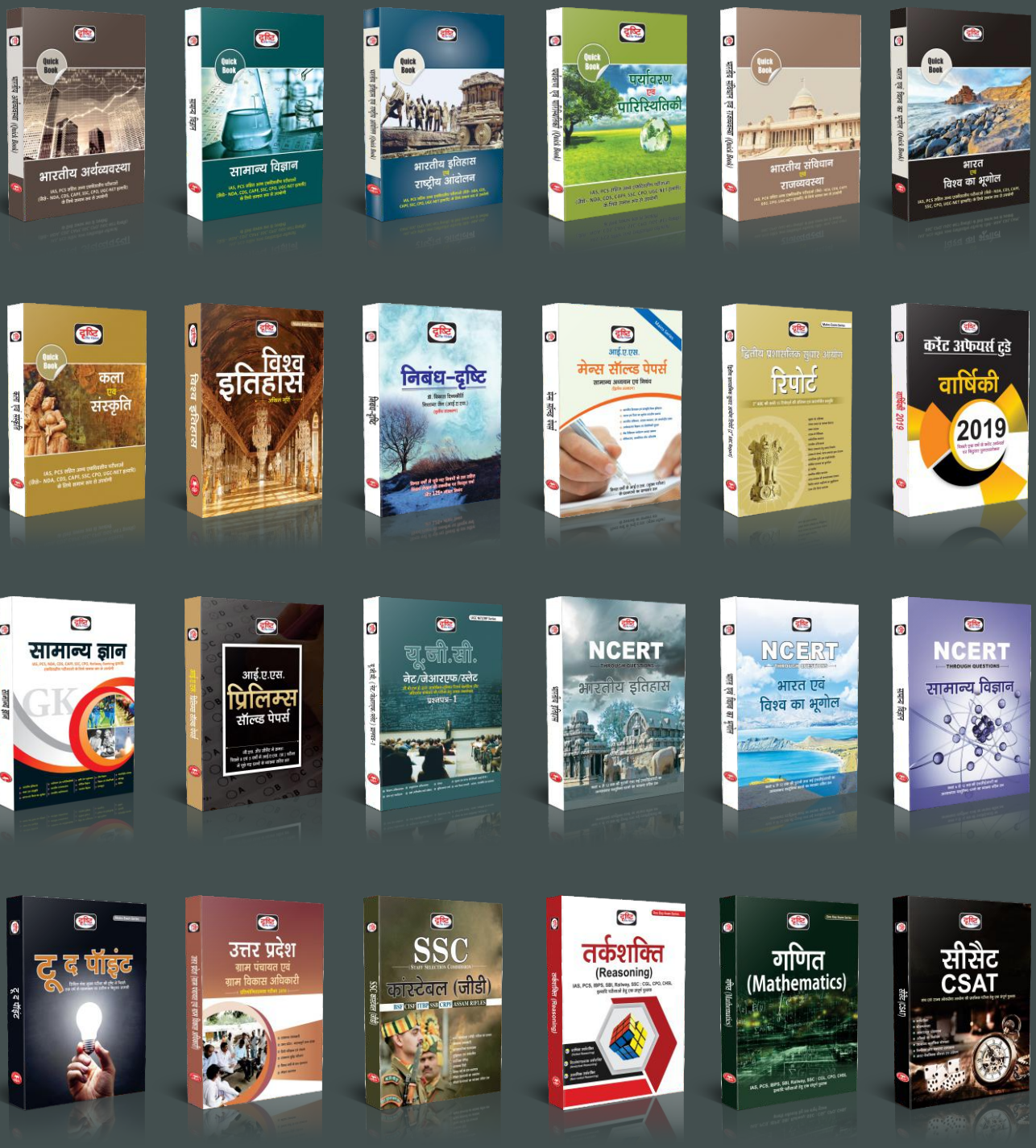

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-939175-1-0

मूल्य : ₹ 280